

कैबिनेट से मंजूरी : 11.40 लाख रेलवे कर्मचारियों को 78 दिन का दिवाली बोनस

3 पेंशन योजनाओं से इंदिरा गांधी नाम हटा,दिव्यांगों को अब जन्म से पेंशन

नई दिल्ली, 14 अक्टूबर 2026। केंद्र सरकार ने दिवाली से पहले रेलवे के करीब 11.40 लाख कर्मचारियों को 78 दिन का बोनस देने की मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के मुताबिक, इस पर करीब 2,009 करोड़ खर्च होंगे। बुधवार को कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया। इसके अलावा, सरकार ने तीन पेंशन योजनाओं से इंदिरा गांधी का नाम हटाकर उनमें प्रधानमंत्री शब्द जोड़ने का फैसला किया है। दिव्यांगों की पेंशन नियमों में भी बदलाव को मंजूरी दी गई है। इसके तहत अब दिव्यांगों को 18 साल की बजाय जन्म से पेंशन मिलेगी। कैबिनेट ने राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम को अगले पांच साल तक जारी रखने का फैसला भी लिया है।

रेलवे कर्मचारियों को 17,951 अब बोनस

रेलवे कर्मचारियों को मिलने वाले प्रोडिक्टिविटी लिंकड बोनस की गणना के लिए अधिकतम मासिक वेतन सीमा 7,000 तय की गई है। इस आधार पर 78 दिन के बोनस की अधिकतम रकम 17,951 बनती है।



सामाजिक सहायता कार्यक्रम पर 53,428 करोड़ खर्च होंगे

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम को वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने की मंजूरी दी गई है। इस दौरान योजना पर 53,428 करोड़ खर्च होंगे। इससे देश के सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के करीब 3.20 करोड़ लाभार्थियों को मदद मिलेगी। इसके तहत बुजुर्गों और विधवाओं को पेंशन, दिव्यांगों को आर्थिक सहायता और परिवार के मुख्य कमाने वाले सदस्य की मौत होने पर पात्र परिवार को मदद दी जाती है। NSAP की शुरुआत 15 अगस्त 1995 को गरीब और जरूरतमंद परिवारों को आर्थिक सहायता देने के लिए हुई थी। यह संविधान के अनुच्छेद 41 में दिए गए नीति-निर्देशक सिद्धांतों से जुड़ा है और इसका पूरा खर्च केंद्र सरकार उठाती है। सरकार के मुताबिक, बुजुर्गों और विधवाओं की पेंशन योजनाएं और राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना पहले की तरह जारी रहेंगी। वहीं, अन्नपूर्णा योजना के तहत ऐसे पात्र बुजुर्गों को अनाज दिया जाता है, जिन्हें वृद्धावस्था पेंशन का लाभ नहीं मिलता।



दिव्यांगता की पात्रता सीमा 80% से घटाकर 40%

नई व्यवस्था में पेंशन के लिए बेंचमार्क दिव्यांगता की सीमा 80% से घटाकर 40% कर दी गई है। इससे पात्रता की शर्तें पूरी करने वाले अधिक दिव्यांग लोग योजना के दायरे में आ सकेंगे।

पेंशन की दरें इस तरह होंगी

- 0 से 79 साल की उम्र: 375 प्रति माह।
 - 80 साल या उससे अधिक उम्र: 625 प्रति माह।
- नए नियमों के तहत पात्रता, लाभार्थियों की संख्या और पेंशन की रकम से जुड़ी जानकारी सरकार दिशानिर्देश जारी होने के तीन महीने के भीतर लागू करेगी। दिव्यांगों की पात्रता में यह बदलाव दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अनुसार किया गया है। इस कानून के तहत 40% या उससे ज्यादा दिव्यांगता वाले व्यक्ति को बेंचमार्क दिव्यांगता की श्रेणी में रखा जाता है। नियमों के मुताबिक, दिव्यांगों को मिलने वाली सहायता राशि समान श्रेणी की दूसरी योजनाओं के मुकाबले कम से कम 25% ज्यादा रखने का प्रावधान भी है।

आईडीबीआई बैंक के रणनीतिक विनिवेश को मंजूरी, 60.72 फीसदी हिस्सेदारी बेचेगी सरकार

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को आईडीबीआई बैंक में 60.72 प्रतिशत हिस्सेदारी फेयरफैक्स फाइनेंशियल होल्डिंग्स लि. को 52,878.08 करोड़ रुपये में बेचने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। एयर इंडिया की बिक्री के बाद यह देश का सबसे बड़ा रणनीतिक विनिवेश है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने बुधवार को आईडीबीआई बैंक के रणनीतिक विनिवेश को मंजूरी दी। केंद्र सरकार आईडीबीआई बैंक में 60.72 फीसदी हिस्सेदारी फेयरफैक्स फाइनेंशियल होल्डिंग्स को 52,878 करोड़ रुपये में बेचेगी। यह एयर इंडिया के बाद सबसे बड़ा रणनीतिक विनिवेश है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यहां पत्रकार वार्ता में मंत्रिमंडल के फैसले की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह फैसला पांच साल से अधिक समय से चल रही विनिवेश प्रक्रिया को पूरा करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। वैष्णव ने कहा कि इस सौदे के पूरा होने पर हमारी अर्थव्यवस्था में वित्तीय क्षेत्र में अबतक का सबसे बड़ा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) होगा। इस बिक्री में केंद्र सरकार की 30.48 फीसदी और एलआईसी की 30.24 फीसदी की हिस्सेदारी शामिल है। उन्होंने बताया कि इस रणनीतिक पुनर्गठन के बाद आईडीबीआई बैंक में सरकार की 15 फीसदी और एलआईसी की 19 फीसदी हिस्सेदारी रह जाएगी।



केंद्रीय मंत्री ने कहा, "मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने इस सौदे के लिए मेसर्स 10955230 कनाडा इंक (मूल कंपनी मेसर्स फेयरफैक्स फाइनेंशियल होल्डिंग्स लिमिटेड) को रणनीतिक खरीदार के रूप में अपनी मंजूरी दी है। कंपनी 52,877.08 करोड़ रुपये के खरीद मूल्य वित्त वर्ष 2026-27 में पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि आईडीबीआई बैंक के कर्मचारियों के हितों को पूरा ध्यान रखा जाएगा। वहीं, फेयरफैक्स को अल्पांश शेयरधारकों के लिए खुली पेशकश भी करनी होगी। सीएसबी बैंक में भी हिस्सेदारी रखने वाली फेयरफैक्स को दो साल के भीतर या तो उसका आईडीबीआई बैंक में विलय करना होगा या फिर सीएसबी बैंक में अपनी हिस्सेदारी बेचकर बाहर निकलना होगा।

काँकरोच पार्टी 16 अक्टूबर को दिल्ली में प्रदर्शन करेगी दीपके बोले...जेल में डाल दो,परवाह नहीं सौरव-आशुतोष 5 दिन के लिए तिहाड़ भेजे गए...

नई दिल्ली, 14 अक्टूबर 2026। काँकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने 16 अक्टूबर को प्रदर्शन का ऐलान किया। दीपके ने बुधवार को वीडियो में सैन्य जारी कर कहा कि, सभी लोग 16 अक्टूबर को शाम 5 बजे तिरंगा लेकर कर्नाट प्लेस पहुंचें। ये लोग मुझे भी जेल में डाल सकते हैं लेकिन मुझे परवाह नहीं। दीपके बुधवार दोपहर दिल्ली पहुंचे थे। एयरपोर्ट से बाहर निकलते समय भीड़ उन पर चिल्लाने लगी। एक पैसेंजर ने कहा...क्यों देश को खराब कर रहा भाई। इस पर दीपके ने बस थप्स अप का इशारा किया और चुपचाप चले गए। अंतर सीजेपी प्रवक्ता आशुतोष रांका और सौरव दास को दिल्ली की स्पेशल कोर्ट ने 5 दिन की न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया है। इन्हें मंगलवार सुबह जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिया गया था। सीजेपी की लोगल टीम प्रमुख रत्ना सिंह के मुताबिक, तीनों पर बिना इजाजत जंतर-मंतर में घुसने, बांड की शर्त तोड़ने और सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप हैं। आशुतोष और सौरव को 10 अक्टूबर को भी पलाइंड से हिरासत में लिया गया था।

राहुल गांधी बोले...जंतर-मंतर पर शांतिपूर्ण विरोध में तिरंगा लहराना जुर्म नहीं है। इसके लिए

युवाओं को जेल भेजना कायरता है। स्टूडेंट्स, युवा, पत्रकार, इंडिया ब्लॉक। अलग-अलग बैनर, एक मकसद। सभी विरोध एक हैं। जंतर-मंतर भारत के लोगों का है। हम इसे वापस लेंगे।



अभिजीत दीपके बोले...अगर सरकार देश में इमरजेंसी लगाना चाहती है तो खुलकर आधिकारिक तौर पर लगाए। यह अधोषित इमरजेंसी क्यों? कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बोले- गुह मंत्री द्वारा एसआईआर में बाहर 13.3 करोड़ भारतीयों को घुसपैठिया घोषित करना भारतीयता का अपमान है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद, जंतर-मंतर को निष्कारित प्रदर्शन स्थल से हटाकर...पहले वोट चोरी फिर विरोध करने के अधिकार की चोरी भाजपाई तानाशाही का प्रमाण है।

पति को मारकर नीले-ड्रम में भरने वाली मुस्कान को फांसी प्रेमी साहिल को भी सजा-ए-मौत, मेरठ कोर्ट में बोली...मेरी बच्चियों का ध्यान रखना

मेरठ, 14 अक्टूबर 2026। मेरठ में प्रेमी के साथ मिलकर पति सौरभ राजपूत की हत्या करने वाली मुस्कान को फांसी की सजा सुनाई गई। उसके प्रेमी साहिल को भी कोर्ट ने मौत की सजा सुनाई। सजा सुनाते हुए जज ने कहा...अधर्म के काम पर सजा देना धर्म होता है। मुस्कान-साहिल आप दोनों ने ही सौरभ की नृशंस हत्या की है। इसलिए माफी स्वीकार नहीं होगी। सजा सुनाने से पहले जेल में बंद मुस्कान और साहिल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जोड़ा गया।

मुस्कान रस्तोगी और साहिल फूट-फूटकर रोने लगे। जज ने मुस्कान से पूछ-तुम अपने पति सौरभ राजपूत की हत्या में दोषी हो, क्या सजा चाहती हो? उसने जवाब दिया...मेरी बच्चियों का ख्याल रखा जाए। फिर वह खामोश हो गई। इसके बाद साहिल से यही सवाल पूछा गया, तो वह चुप रहा। सजा के ऐलान के बाद सौरभ की मां रो पड़ीं। कहा...शांति से न्याय मिल गया। सौरभ राजपूत की हत्या 3 मार्च, 2025 को हुई थी। मुस्कान और साहिल ने सबूत मिटाने के लिए सौरभ के शव को 5 टुकड़ों में काटकर नीले ड्रम में भर दिया था। इसके बाद उस पर सीमेंट का घोल डाल दिया था।

एसएसपी बोले- पैरवी करने वाले को इनाम देंगे : मेरठ के एसएसपी बीबीजीटीएस मूर्ति ने बताया...मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल ने सौरभ को मार दिया था। उस केस में आज मेरठ पुलिस एवं



अब स्पेशल वैंक में शिफ्ट होंगे साहिल-मुस्कान

फांसी की सजा मिलने के बाद साहिल और मुस्कान को लेकर जिला कारागार के भीतर भी व्यवस्था बदल गई है। फैमला आने के बाद शाम को जेल प्रशासन की बैठक हुई। इसमें साहिल-मुस्कान को लेकर तैयार की जाने वाली व्यवस्था पर चर्चा की गई। दोनों को 24 घंटे के भीतर विशेष वैंक में शिफ्ट कर दिया जाएगा। मुस्कान रस्तोगी को अभी तक बैस्क नंबर 12-बी और साहिल शुक्ला वैंक नंबर- 15 में रखा गया था। जिला कारागार में दोनों अभी तक सामान्य कपड़े पहनते आ रहे थे। फांसी की सजा मिलने के बाद मुस्कान अब फ्रीम कलर की साड़ी या सूट पहनेगी, जबकि साहिल को स्फेद कुर्ता-पजामा पहनना होगा। वरिष्ठ जेल अधीक्षक डॉ. वीरेश राज शर्मा का कहना है कि जजमेंट की कॉपी मिलने के साथ ही नई व्यवस्था बहाल कर दी जाएगी। जल्द ही दोनों का कैदी नंबर भी अलॉट कर दिया जाएगा।

अभियोजन के सार्थक प्रयासों से आज कोर्ट ने दोनों अभियुक्तों को मृत्युदंड की सजा दी है। जितने भी लोगों ने इस केस में अच्छा काम किया है, सब लोग प्रशंसा के पात्र हैं। इनको प्रशस्ति पत्र और नगद पुरस्कार भी दिया जाएगा।

दिल्ली प्रदर्शन : विदेश मंत्रालय की यूएन को दो टूक कहा...भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं...

नई दिल्ली, 14 अक्टूबर 2026। दिल्ली में विरोध प्रदर्शन को लेकर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय की टिप्पणी पर भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस मामले में जताई गई चिंताएं अनुचित और अस्वीकार्य हैं, क्योंकि यह भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप के समान है। जायसवाल ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय का रवैया चुनिंदा प्रतीत होता है। उन्होंने आरोप लगाया कि दुनिया के अन्य हिस्सों में हो रहे विरोध प्रदर्शनों और कानून लागू करने वाली एजेंसियों की कार्रवाई पर संगठन ने अपने सार्वजनिक बयानों में इसी तरह प्रतिक्रिया नहीं दी है।

ओएससीएचआर को भारत ने सुनाई खरी-खरी

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, 'अगर वे इसी रास्ते पर चलते रहे, तो इससे बहुपक्षवाद में लोगों का विश्वास कम होगा। साथ ही, इससे एक संगठन के रूप में उनकी विश्वसनीयता भी कमजोर होती है।'

बिम्स्टेक देशों के गुह मंत्रियों की बैठक में दिल्ली घोषणा स्वीकार

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बिम्स्टेक देशों के गुह मंत्रियों के संवाद के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि भारत के गुह मंत्री ने इस बैठक की मेजबानी की और इसमें बिम्स्टेक के सभी सदस्य देशों ने हिस्सा लिया। जायसवाल के मुताबिक, बातचीत और बैठक के बाद दिल्ली घोषणा को भी स्वीकार किया गया। इसमें बिम्स्टेक देशों ने कई क्षेत्रों में सहयोग मजबूत करने की प्रतिबद्धता जताई। उन्होंने बताया कि सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों में आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई, मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के उपाय और मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ सहयोग शामिल हैं।

राहुल यूथ प्रोटेस्टर्स को साथ लाए, पुलिस पर आरोप लगाए छात्रा बोली...प्राइवेट पार्ट पर मारा, युवक ने कहा... गुंडों के कहने पर हिरासत में लिया

नई दिल्ली, 14 अक्टूबर 2026। एसआईआर के खिलाफ दिल्ली में प्रदर्शन करने वाले छात्रों ने बुधवार को राहुल गांधी से मुलाकात की। राहुल ने सभी के साथ मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जिसमें छात्रों ने दिल्ली पुलिस पर मारपीट और हिरासत में लेकर हिरासत में अपने साथ घटनाएं बताईं। एक छात्र ने प्राइवेट पार्ट पर लात मारने का आरोप लगाया, जबकि दिल्ली यूनिवर्सिटी की छात्रा अदिरा ने दावा किया कि पुलिस की पिटाई से उसके एक कान से सुनने की क्षमता चली गई। एक अन्य प्रदर्शनकारी ने आरोप लगाया कि पुलिस आरएसएस और भाजपा से जुड़े लोगों के कहने पर प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले रही थी। राहुल गांधी ने छात्रों से घटनाओं के वीडियो और दूसरे सबूत सुरक्षित रखने को कहा। उन्होंने कहा कि इन सबूतों के आधार पर पुलिसकर्मियों से लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त तक, जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जाएगी। कांग्रेस समेत विपक्ष एक अक्टूबर से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। अब तक 5 प्रदर्शन किए जा चुके हैं।

राहुल गांधी ने कहा...देखिए ये हिंदुस्तान है, इसकी कोई जात नहीं

राहुल गांधी ने कहा, 'ये हिंदुस्तान है, अमित शाह जी यहां कोई हिंदू-मुस्लिम नहीं है, इनकी कोई जात नहीं है। आप इस आवाज के सामने खड़े



प्रदर्शनकारी ऋतु बराला ने कहा...नाखूनों से मेरा चेहरा खरोंच दिया

एनएसयूआई से जुड़ी ऋतु बराला ने कहा, 'एनएसयूआई के सभी कार्यकर्ता शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे। इसी दौरान हमें तीन बसों में हिरासत में लिया गया। हर बस में हमारे करीब 30-40 साथी थे। हमारी बस में दो लड़कियां और 20-30 अन्य एनएसयूआई कार्यकर्ता थे। बस में चंचल यादव नाम की एक महिला पुलिस कांस्टेबल थी। हिरासत में लिए जाने के बाद हमने गेट से दोबारा बस से बाहर निकलने और प्रदर्शन का नेतृत्व जारी रखने की कोशिश की।'

नहीं हो सकते। स्टूडेंट्स से कहना चाहता हूं। अगर वीडियो बनाकर रखिए। उन सबूतों को हम रखेंगे।' राहुल ने कहा कि जब सब खत्म होगा तो इन सबूतों के आधार पर सबको सजा मिलेगी। चाहे पुलिस वाले हों या ज़ानेश कुमार हों। ये देश की आवाज है। इस आवाज को दबाने की कोशिश हो रही है।

प्रदर्शनकारी अदिरा ने कहा...जहां सीसीटीवी नहीं थे, वहां पर मुक्के मारे : राहुल गांधी ने कहा, 'केरल की अदिरा की एक

कान से सुनने की क्षमता चली गई है। उस कान पर चोट लगने के कारण वह एक कान से सुन नहीं पा रही है। अब उसे सुनाई नहीं देता। पिछली बार मैंने आपको एक लड़का दिखाया था, जिसकी आंखों की रोशनी चली गई थी। अब इस लड़की के एक कान से सुनने की क्षमता चली गई है।' अदिरा ने बताया, 'मैं केरल की रहने वाली हूं और दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूं। कल जब बस में हिरासत में लिया गया, तब बस में कोई महिला पुलिसकर्मी नहीं थी।

भारत का शासन मॉडल सिर्फ कल्याणकारी सहायता तक सीमित नहीं, नागरिकों के सशक्तीकरण का बना माध्यम : पीएम मोदी

नई दिल्ली, 14 अक्टूबर 2026। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि भारत का शासन मॉडल केवल कल्याणकारी सहायता तक सीमित नहीं है, बल्कि नागरिकों को सशक्त बनाकर विकास प्रक्रिया में भागीदार बनाने का माध्यम बन रहा है। उन्होंने स्वच्छता, रसोई गैस कनेक्शन, स्वास्थ्य सुखा और आसान ऋण सुविधा जैसी योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने और लोगों के लिए नए अवसर पैदा करने का जरिया बताया। प्रधानमंत्री कार्यालय ने बुधवार को सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर केंद्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के आलेख को साझा किया। पीएमओ ने कहा कि योजनाओं की अंतिम छोर तक पहुंच और जनभागीदारी शासन व्यवस्था में वास्तविक बदलाव ला रही है। यह दृष्टिकोण वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के लक्ष्य का महत्वपूर्ण आधार है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक अंग्रेजी समाचार पत्र में 'मूविंग गवर्नेंस फ्रॉम वेल्फेयर टू एम्पावरमेंट' शीर्षक से आलेख लिखा है। इसमें उन्होंने कहा कि मोदी सरकार में शासन व्यवस्था में गरिमा, अवसर और जनभागीदारी को केंद्र में रखा गया है। आलेख में महात्मा गांधी के सबसे गरीब व्यक्ति को आवाज देने के विचार और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय दर्शन का उल्लेख किया गया है। सिंधिया ने आलेख में कहा कि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण और जनधन-मोबाइल तकनीक के माध्यम से करीब 50 लाख करोड़ रुपये लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजे गए हैं। इसमें दावा किया गया कि वर्ष 2013-14 की तुलना में देश की अर्थव्यवस्था लगभग तीन गुना बढ़कर 331 लाख करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंच गई है। देश में 2.23 लाख से अधिक स्टार्टअप ने 23 लाख से ज्यादा रोजगार सृजित किए हैं। सिंधिया ने आलेख में उज्ज्वला योजना के तहत 10.5 करोड़ से अधिक रसोई गैस कनेक्शन, स्वच्छ भारत मिशन के तहत करीब 12 करोड़ घरेलू शौचालयों के निर्माण और आयुष्मान भारत योजना के तहत 12 करोड़ लोगों के इलाज का उल्लेख किया है।



बीज उपलब्ध कराने के निर्देश दिए, ताकि मत्स्य पालन से जुड़े किसानों को समय पर सामग्री मिल सके।



हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया...सिर्फ पूछताछ, कागज पर लिखवाना और माता-पिता को बुलाना अपने आप में आत्महत्या के लिए उकसाने का अपराध नहीं

आईसी मार्ट प्रकरण में हाईकोर्ट की टिप्पणी से पुलिस की जांच पर फिर सवाल,दैनिक घटती-घटना की खबरों में उठे मुद्दे चर्चा में...

तीन महीने जेल,फिर हाईकोर्ट से जमानत! आईसी मार्ट प्रकरण में पुलिस की कार्रवाई पर उठे गंभीर सवाल...

हाईकोर्ट की टिप्पणी से आईसी मार्ट केस में नया मोड़, दुष्प्रेरण के आरोपों की कानूनी बुनियाद पर उठे सवाल...

आईसी मार्ट प्रकरण : गिरफ्तारी से जमानत तक सवालों के घेरे में जांच,हाईकोर्ट ने बताई दुष्प्रेरण की कानूनी कसौटी

दैनिक घटती-घटना ने उठाए थे सवाल,अब हाईकोर्ट के आदेश ने फिर बहस के केंद्र में लाई पुलिस की कार्यप्रणाली

आत्महत्या के मामले में आरोपों पर हाईकोर्ट की अहम टिप्पणी,विनोद बैद को तीन महीने बाद नियमित जमानत

आईसी मार्ट मामला : क्या गिरफ्तारी से पहले परखे गए थे आरोपों के कानूनी आधार? हाईकोर्ट के आदेश के बाद बड़ा सवाल...

जमानत मिली,लेकिन सवाल बाकी! आईसी मार्ट प्रकरण में पुलिस की जांच और आरोपों की कानूनी मजबूती पर बहस तेज

-रवि सिंह-

बैकुंठपुर, 14 अक्टूबर 2026
(घटती-घटना)।

आईसी मार्ट प्रकरण में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की 14 अक्टूबर 2026 का आदेश केवल तीन आरोपियों को जमानत मिलने तक सीमित नहीं है,इस आदेश ने उस कानूनी कसौटी को फिर चर्चा के केंद्र में ला दिया है,जिसके आधार पर किसी व्यक्ति के विरुद्ध आत्महत्या के लिए उकसाने जैसे गंभीर अपराध का आरोप टिकता है,विनोद कुमार बैद को तीन महीने से अधिक समय तक जेल में रहने के बाद नियमित जमानत मिली,जबकि जगत कुमार बैद और दीपक कुमार बैद को अग्रिम जमानत का लाभ दिया गया, अदालत ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 45 में वर्णित दुष्प्रेरण के तत्वों पर विचार करते हुए कहा कि केवल चोरी के आरोप में पूछताछ करना,कागज पर चोरी के संबंध में लिखवाना और माता-पिता को बुलाना अपने आप में आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण के लिए प्रासंगिक बनाता है,जिन्हें इस पूरे प्रकरण में जांच की दिशा,आरोपों के स्वरूप और पुलिस की कार्रवाई को लेकर उठाया जाता रहा था,दैनिक घटती-घटना ने भी इस मामले में अलग-अलग खबरों के माध्यम से पुलिस की कार्यप्रणाली और घटनाक्रम से जुड़े सवालों को सामने रखा था,अब हाईकोर्ट की टिप्पणियों के बाद सवाल यह है कि क्या किसी गंभीर घटना के बाद की गई पुलिस कार्रवाई में आरोपों की गंभीरता के साथ-साथ उनके कानूनी आधार की भी उतनी ही सावधानी से जांच की गई थी?

जमानत के आदेश ने बदली बहस की दिशा—हाईकोर्ट ने जगत कुमार बैद, विनोद कुमार बैद और दीपक कुमार बैद की ओर से दायर अपील पर सुनवाई हुई, अदालत ने 14 अक्टूबर को तीनों मामलों में आदेश दिया,विनोद बैद को न्यायित जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया गया, जबकि जगत और दीपक बैद को गिरफ्तारी की स्थिति में जमानत पर छोड़े जाने का संरक्षण प्रदान किया गया,अदालत ने जमानत के साथ शर्त भी लगाई,जिनमें गवाहों को प्रभावित नहीं करना,धमकी या प्रलोभन नहीं देना तथा निष्पक्ष और शीघ्र सुनवाई में बाधा नहीं डालना शामिल है,अदालत का आदेश यह नहीं कहता कि मुकदमे के सभी आरोप झुटे साबित हो गए हैं,यह भी नहीं कहा जा सकता कि जमानत मिलना दोषमुक्ति के समान है,लेकिन आदेश में दुष्प्रेरण के

कानूनी तत्वों पर की गई चर्चा महत्वपूर्ण है, इसने स्पष्ट किया कि किसी दुःखद घटना के बाद किसी व्यक्ति को अपराध के लिए जिम्मेदार ठहराने के लिए केवल घटनाओं का क्रम पर्याप्त नहीं होता,आरोपित कृत्य और आत्महत्या के बीच कानून के अनुरूप आवश्यक संबंध भी स्थापित होना चाहिए, यही वह बिंदु है,जहां आईसी मार्ट प्रकरण की जांच,अभियोजन की दलीलों और आरोपों की कानूनी मजबूती पर गंभीर चर्चा आवश्यक हो जाती है।

7 जुलाई की घटना,8 जुलाई को परिजनों का पहुंचना और 9 जुलाई को आत्महत्या—अभियोजन के अनुसार, 7 जुलाई 2026 को नाबालिग पूजा पैकार अपनी 15 वर्षीय बहन छया के साथ आईसी मार्ट पहुंची थी,आरोप है कि दुकान में चोरी के संदेह को लेकर दोनों को रोका गया,उन्से पूछताछ की गई और पूजा से कागज पर चोरी स्वीकार करने जैसी बात लिखवाई गई,अभियोजन की कहानी में स्कूटर की चाबी अपने पास रखने और 50 हजार रुपये की मांग किए जाने का आरोप भी शामिल है,इसके बाद 9 जुलाई को पूजा की आत्महत्या की घटना सामने आई, दूसरी ओर,बचाव पक्ष ने अदालत में आरोपों के स्वरूप पर सवाल उठाए,बचाव पक्ष की ओर से कहा गया कि आरोपियों की ओर से ऐसा कोई विशिष्ट कृत्य सामने नहीं आया,जिसे आत्महत्या के लिए सक्रिय उकसावे के रूप में देखा जा सके,यह भी दलील दी गई कि 7 जुलाई की कथित घटना के बाद 8 जुलाई को पिता दुकान को हुई,इन तथ्यों और दलीलों पर विचार करते हुए हाईकोर्ट ने दुष्प्रेरण के कानूनी मानकों को महत्वपूर्ण माना,हालांकि,घटना की पूरी जिम्मेदारी किसकी थी, किसने क्या किया और किसी व्यक्ति का आचरण किस सीमा तक अपराधिक था—इन प्रश्नों का अंतिम निर्णय मुकदमे के साक्ष्यों और न्यायिक प्रक्रिया के अनुसार ही होगा।

हाईकोर्ट ने धारा 45 के कानूनी तत्वों पर क्यों दिया जोर?—हाईकोर्ट ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 45 में वर्णित दुष्प्रेरण की अवधारणा पर चर्चा करते हुए अथवा षड्यंत्र जैसे कानूनी तत्वों और आत्महत्या के बीच प्रत्यक्ष एवं निकट संबंध के महत्व को रेखांकित किया,अदालत की टिप्पणी का सार यह है कि केवल चोरी के आरोप में पूछताछ करना,मृतका से कागज

आईसी मार्ट प्रकरण: हाईकोर्ट की अब तक की कार्यवाही का टाइमलाइन

7 जुलाई 2026	9 जुलाई 2026	10 जुलाई 2026	11 जुलाई 2026	13 जुलाई 2026	16 जुलाई 2026	21 अगस्त 2026	8 सितंबर 2026	29 सितंबर 2026
नाबालिग पूजा पैकार अपनी बहन के साथ आईसी मार्ट पहुंची थी। चोरी के संदेह को लेकर पूछताछ का आरोप।	पूजा पैकार की आत्महत्या की घटना। इसके बाद बैकुंठपुर थाने में अपराध क्रमांक 214/2026 दर्ज।	फरारी पंचनामा जारी। पुलिस की कार्रवाई और गिरफ्तारी के प्रयासों पर बाद में सवाल उठे।	विनोद कुमार बैद की गिरफ्तारी वही बाद में 3 महीने से अधिक समय तक न्यायिक हिरासत में रहे।	निचली अदालत का आदेश (जिसे बाद में हाईकोर्ट ने निरस्त किया)।	निचली अदालत का एक और आदेश (जिसे बाद में हाईकोर्ट ने निरस्त किया)।	हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान पुलिस की कार्यप्रणाली, सीसीटीवी डीवीआर, एफएसएल और जांच के दायरे पर सवाल।	जगत और दीपक बैद को अंतरिम अग्रिम जमानत। इस दिन के विस्तृत आदेश की पुष्टि अभी आवश्यक।	अगली सुनवाई की तारीख निर्धारित। इस दिन के विस्तृत आदेश की पुष्टि अभी आवश्यक।

14 अक्टूबर 2026

- जमानत आदेश
- विनोद कुमार बैद को नियमित जमानत।
- जगत और दीपक बैद को अग्रिम जमानत।
- इस वि६ के कानूनी तत्वों पर अदालत की महत्वपूर्ण टिप्पणी।
- निचली अदालत के 13 जुलाई, 16 जुलाई और 12 अगस्त 2026 के आदेश निरस्त।

पर चोरी के संबंध में लिखवाना और उसके माता-पिता को बुलाना—इन परिस्थितियों को अपने आप आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण का अपराध नहीं माना जा सकता,अदालत ने यह भी कहा कि अभियोजन के आरोपों में आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण करने का ऐसा आधार नहीं बताया गया,जो धारा 45 की आवश्यक शर्तों को पूरा करता हो,यह टिप्पणी जांच और अभियोजन की जिम्मेदारी को लेकर एक बुनियादी सवाल खड़ा करती है,क्या किसी व्यक्ति के विरुद्ध इतना गंभीर आरोप लगाने से पहले यह पर्याप्त रूप से परखा गया था कि कथित कृत्य और आत्महत्या के बीच कानून द्वारा अपेक्षित संबंध बनता भी है या नहीं? क्या आरोपों की गंभीरता के साथ-साथ उनके आवश्यक कानूनी तत्वों का परीक्षण भी किया गया था? इन सवालों का जवाब केवल आरोप-प्रत्यारोप से नहीं,बल्कि जांच के रिकॉर्ड, केस डायरी, उपलब्ध साक्ष्यों और न्यायालय में रखे गए तथ्यों के आधार पर ही मिल सकता है।

तीन महीने से अधिक जेल में रहने का सवाल भी कम गंभीर नहीं—विनोद कुमार बैद को 11 जुलाई 2026 को गिरफ्तार किया गया था,हाईकोर्ट के 14 अक्टूबर के आदेश के समय तक वह तीन महीने से अधिक समय जेल में बिता चुके थे,अब उन्हें नियमित जमानत मिली है,इस अवधि को लेकर स्वाभाविक सवाल उठता है कि किसी आरोपी को इतने लंबे समय तक हिरासत में रखने की आवश्यकता और उसके विरुद्ध उपलब्ध साक्ष्यों का अकालानुचित किस आधार पर किया गया? किसी गंभीर मामले में पुलिस की त्वरित कार्रवाई को अपने आप गलत नहीं कहा जा सकता,नाबालिग की मृत्यु पैकार की कार्रवाई को लेकर पहले भी परीक्षण की जांच और आरोपों को कानूनी कसौटी पर कसकर ही आगे बढ़ाया जाए,यदि किसी मामले में बाद में न्यायालय को आरोपों के आवश्यक कानूनी तत्वों पर सवाल उठाने पड़ते हैं,तो जांच की गुणवत्ता और विवेचना में अपनाई गई प्रक्रिया की समीक्षा का प्रश्न उठना स्वाभाविक है,यह समीक्षा किसी आरोपी को पहले से निर्दोष घोषित करने के लिए नहीं,बल्कि यह सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है कि गंभीर अपराधिक मामलों में कार्रवाई साक्ष्यों और कानून के आधार पर हो।

दैनिक घटती-घटना के सवाल और अब अदालत की टिप्पणियां—इस पूरे प्रकरण में दैनिक घटती घटना ने पहले भी पुलिस की कार्यप्रणाली और मामले के घटनाक्रम से जुड़े सवालों को खबरों के माध्यम से उठाया था, अब हाईकोर्ट के आदेश में दुष्प्रेरण के कानूनी तत्वों पर हुई चर्चा ने उन मुद्दों को फिर महत्वपूर्ण बना दिया है,हालांकि, यह कहना उचित नहीं होगा कि अदालत ने अखबार के प्रत्येक सवाल या पुलिस के विरुद्ध लगाए गए हर आरोप को सही ठहरा दिया है,अदालत ने अपने सामने उपलब्ध रिकॉर्ड, अभियोजन की दलीलों और बचाव पक्ष के तर्कों के आधार पर जमानत संबंधी आदेश दिया है, लेकिन आदेश में दर्ज कानूनी टिप्पणियों को नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता, प्रकाशित का दायित्व केवल किसी पक्ष के आरोप प्रकाशित करना नहीं,बल्कि संस्थागत कार्रवाई से जुड़े सवालों को तथ्य और दस्तावेजों के आधार पर जनता के सामने रखना भी है,इसी तरह पुलिस का दायित्व केवल गिरफ्तारी करना नहीं,बल्कि



ऐसा साक्ष्य-आधारित और निष्पक्ष अनुसंधान करना है, जो न्यायालय की कसौटी पर टिक सके,अब महत्वपूर्ण सवाल यह है कि इस प्रकरण में विवेचना के दौरान किन तथ्यों को किस तरह परखा गया,आरोपों के समर्थन में कौन-से साक्ष्य उपलब्ध थे और क्या जांच की प्रत्येक महत्वपूर्ण कड़ी को पर्याप्त सावधानी से जांचा गया था,इन सवालों का उत्तर रिकॉर्ड और सक्षम प्राधिकारी की समीक्षा से ही सामने आना चाहिए।

जांच के तरीके पर उठे सवालों का जवाब कौन देगा?—आईसी मार्ट प्रकरण में पुलिस की कार्रवाई को लेकर पहले भी विवाद और सवाल सामने आए थे,आरोपियों की ओर से जांच की दिशा और पुलिस के व्यवहार पर आपत्तियां उठाई गई थीं,इससे पहले की न्यायिक कार्यवाही में भी जांच से संबंधित कुछ पहलुओं पर स्पष्टीकरण मांगे जाने की बात सामने आई थी,इन घटनाक्रमों को देखते हुए अब यह आवश्यक है कि संबंधित रिकॉर्ड के आधार पर स्पष्ट किया जाए कि जांच के दौरान कौन-कौन से कदम उठाए गए,उन्के पीछे क्या आधार था और साक्ष्यों को सुरक्षित रखने तथा उनका परीक्षण कराने की प्रक्रिया क्या रही,यहां यह अंतर समझना भी जरूरी है कि किसी पक्ष द्वारा पुलिस पर एकतरफा कार्रवाई का आरोप लगाना और न्यायालय द्वारा उस आरोप को प्रमाणित मान लेना दो अलग बातें हैं,उपलब्ध आदेश के आधार पर यह कहा जा सकता है कि हाईकोर्ट ने दुष्प्रेरण के आरोपों की कानूनी बुनियाद पर महत्वपूर्ण विचार किया और आरोपियों को जमानत दी,लेकिन पुलिस के विरुद्ध लगाए गए प्रत्येक आरोप पर अंतिम निष्कर्ष निकालने के लिए संबंधित दस्तावेजों और न्यायिक रिकॉर्ड का पुरा परीक्षण आवश्यक है,यदि जांच में कोई कमी रही है, तो उसकी पहचान कर जवाबदेही तय की जानी चाहिए और यदि जांच निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप हुई है,तो पुलिस को तथ्यों तथा दस्तावेजों के आधार पर अपना पक्ष स्पष्ट करना चाहिए, दोनों ही स्थितियों में चुप्पी से संदेह दूर नहीं होगा,परदर्शिता और रिकॉर्ड आधारित जवाब ही भरोसा बहाल कर सकते हैं।

अब पुलिस और अभियोजन के सामने जवाबदेही का प्रश्न—14 अक्टूबर का आदेश पुलिस के लिए आत्ममंथन का अवसर अवश्य है,आत्ममंथन का अर्थ यह नहीं है कि जांच अधिकारी पहले से दोषी मान लिए जाएं,बल्कि

नाबालिग की मौत का न्याय भी जरूरी,निष्पक्ष जांच का अधिकार भी...

इस मामले का सबसे संवेदनशील पक्ष पूजा पैकार की मृत्यु है,एक नाबालिग की आत्महत्या परिवार और समाज के लिए गहरा आघात है,उसकी मृत्यु के कारणों और उससे जुड़े घटनाक्रम की निष्पक्ष जांच होना आवश्यक है,साथ ही,किसी भी आरोपी के विरुद्ध कानून के अनुसार आरोप तय होना और उसके अधिकारों की रक्षा होना भी न्यायिक व्यवस्था का अनिवार्य हिस्सा है,न्याय का अर्थ किसी एक पक्ष की भावनाओं के आधार पर निष्कर्ष निकालना नहीं है,न तो मृतका के परिवार की पीड़ा को नजरअंदाज किया जा सकता है,न ही किसी आरोपी को केवल आरोप के आधार पर दोषी मान लेना उचित है,न्याय तभी मजबूत होगा, जब जांच साक्ष्यों पर आधारित हो,अभियोजन कानूनी तत्वों को स्थापित करे और अदालत स्वतंत्र रूप से निर्णय ले,हाईकोर्ट का जमानत आदेश इसी व्यापक प्रश्न की याद दिलाता है कि गंभीर घटना के बाद पुलिस की कार्रवाई जितनी तेज हो, उतनी ही ठोस और कानूनसम्मत भी होनी चाहिए,किसी मामले में गिरफ्तारी अपने आप आरोप सिद्ध नहीं करती और जमानत अपने आप निर्दोषता का अंतिम प्रमाण नहीं होती,अंतिम फैसला मुकदमे के साक्ष्यों के आधार पर होगा।

यह है कि जांच की प्रत्येक महत्वपूर्ण कड़ी का निष्पक्ष मूल्यांकन हो,यदि कोई प्रक्रियागत या कानूनी कमी सामने आती है, तो उसे स्वीकार कर सुधार किया जाए,यदि किसी कार्रवाई के पीछे ठोस आधार था,तो उसे रिकॉर्ड के माध्यम से स्पष्ट किया जाए,किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में पुलिस की विश्वसनीयता केवल अपराधियों को गिरफ्तारी से नहीं बनती,वह निष्पक्षता,परदर्शिता और कानून के प्रति जवाबदेही से बनती है,न्यायालय की टिप्पणियां जांच एजेंसियों को यही याद दिलाती हैं कि गंभीर आरोपों में भावनात्मक दबाव नहीं,बल्कि कानून और साक्ष्य निर्णायक होने चाहिए,आईसी मार्ट प्रकरण में अभी मुकदमे का अंतिम परिणाम आना बाकी है,इसलिए न तो आरोपियों को दोषमुक्त घोषित किया जा सकता है और न ही अभियोजन के आरोपों को अंतिम सत्य माना जा सकता है,लेकिन हाईकोर्ट के आदेश के बाद यह सवाल पहले से अधिक महत्वपूर्ण हो गया है कि क्या इस मामले में आरोपों की गंभीरता के अनुरूप उनकी कानूनी बुनियाद की पर्याप्त जांच की गई थी? दैनिक घटती-घटना द्वारा उठाए गए सवालों के संदर्भ में अब जरूरत आरोप-प्रत्यारोप की नहीं,बल्कि दस्तावेजों, जांच रिकॉर्ड और न्यायिक प्रक्रिया के आधार पर स्पष्ट जवाब की है,नाबालिग की मृत्यु का सच सामने आना चाहिए,जांच निष्पक्ष रहनी चाहिए और किसी भी पक्ष के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए,यही न्याय का तकाजा है और यही पुलिस तथा न्याय व्यवस्था पर जनता के भरोसे का असली कसौटी भी।

आईसी मार्ट प्रकरण: हाईकोर्ट की कार्यवाही का तारीखवार टाइमलाइन

9 जुलाई 2026 प्रकरण की पृष्ठभूमि: एफआईआर दर्ज—पूजा पैकार की आत्महत्या के बाद बैकुंठपुर थाने में अपराध क्रमांक 214/2026 दर्ज होने का उल्लेख बाद की हाईकोर्ट कार्यवाही में आया,प्रकरण में भारतीय न्याय संहिता की धाराओं 107, 296, 308(2), 309(4) तथा एससी/एसटी अधिनियम की धारा 3(2)(1) का उल्लेख है।

21 अगस्त 2026 पुलिस की कार्यप्रणाली पर हाईकोर्ट के सवाल—उपलब्ध पूर्व कार्यवाही के विवरण के अनुसार, अदालत ने आरोपियों को फरार बताने वाली पुलिस की प्रेस विज्ञप्ति के आधार और अग्रिम जमानत याचिकाएं लंबित रहने के दौरान अपनाई गई प्रक्रिया पर स्पष्टीकरण मांगा था,अभियोजन पक्ष से यह भी पूछा गया कि इस विज्ञप्ति के लिए महाधिवक्ता कार्यालय से परामर्श लिया गया था या नहीं,सीसीटीवी

डीवीआर को 10 जुलाई को जब्त किए जाने के बावजूद एफएसएल जांच के लिए नहीं भेजे जाने का मुद्दा भी सामने आया। जांच में मृतका के पुलिसकर्मी पिता और पुलिस अधिकारी चाचा की भूमिका को लेकर भी निर्देश दिए जाने का उल्लेख पूर्व आदेश के विवरण में है।

8 सितंबर 2026 जगत और दीपक बैद को अंतरिम अग्रिम जमानत—हाईकोर्ट ने जगत कुमार बैद और दीपक कुमार बैद को अंतरिम अग्रिम जमानत का संरक्षण दिया, अदालत ने पुलिस की कार्रवाई से जुड़े कई सवालों पर राज्य से जवाब मांगा,प्रमुख सवाल थे की एफआईआर 9 जुलाई को दर्ज होने के बाद 10 जुलाई को फरारी पंचनामा जारी करने का आधार क्या था? आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए क्या कदम उठाए गए? तलाश में इस्तेमाल वाहन का विवरण क्या था? जब्त सीसीटीवी डीवीआर की एफएसएल रिपोर्ट की स्थिति क्या थी? मामले को आगे की सुनवाई के लिए 29 सितंबर की तारीख दिए जाने का उल्लेख उपलब्ध विवरण में है।

29 सितंबर 2026 अगली सुनवाई की निर्धारित तारीख—8 सितंबर के आदेश में इस तारीख का उल्लेख अगली सुनवाई के लिए किया गया था,हालांकि,उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर 29 सितंबर को पारित किसी अलग आदेश की स्टडीक सामग्री की पुष्टि नहीं हो रही है, इसलिए इस तारीख पर अदालत ने क्या निर्णय दिया, यह मूल आदेश देखे बिना निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता।

14 अक्टूबर 2026 प्रमुख आदेश, तीनों आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर फैसला—

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने तीन अपीलों पर आदेश पारित किया CRA 1795/2026 — जगत कुमार बैद,CRA 2173/2026 — विनोद कुमार बैद,CRA 1800/2026 — दीपक कुमार बैद अदालत ने विनोद बैद को नियमित जमानत और जगत तथा दीपक बैद को अग्रिम जमानत दी,साथ ही, निचली अदालत के 13 जुलाई,16 जुलाई और 12 अगस्त 2026 के संबंधित आदेशों को निरस्त किया, सबसे महत्वपूर्ण कानूनी टिप्पणी: हाईकोर्ट ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 45 के तहत दुष्प्रेरण के आवश्यक तत्वों पर विचार करते हुए कहा कि केवल चोरी के आरोप में पूछताछ करना, कागज पर लिखवाना और माता-पिता को बुलाना अपने आप में आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण का अपराध नहीं बनता। अदालत ने सक्रिय उकसावे, जानबूझकर सहायता अथवा षड्यंत्र और आत्महत्या के बीच आवश्यक संबंध के महत्व पर चर्चा की।



टिकट एक को, दावेदार तीन शिवपुर-चरचा कांग्रेस में फैसले की घड़ी!

अंशु लकड़ा के नाम पर मुहर की चर्चा, क्या लालमुनि यादव और नीता मिश्रा को साथ पाएगी कांग्रेस?

शहर की सरकार का चुनाव, कांग्रेस में टिकट पर घमासान-अपनों की नाराजगी कहीं मारी न पड़ जाए!

अंशु लकड़ा के नाम पर सहमति की चर्चा, लालमुनि यादव और नीता मिश्रा की दावेदारी भी अहम, अब नजर आधिकारिक घोषणा और पार्टी की एकजुटता पर

लालमुनि यादव और नीता मिश्रा भी जनसंपर्क में सक्रिय, टिकट के बाद बगावत और निर्दलीय चुनौती की आशंका, कांग्रेस के सामने एकजुटता बनाए रखने की बड़ी परीक्षा
-रवि सिंह-

कोरिया, 14 अक्टूबर 2026 (घटती-घटना)।

जिले की बैकुंठपुर और शिवपुर-चरचा नगर पालिका में आगामी चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगमी तेज हो गई है, खासकर शिवपुर-चरचा में कांग्रेस के अध्यक्ष पद के प्रत्याशी को लेकर चल रही खींचतान अब चर्चा के केंद्र में है, पार्टी के भीतर दावेदारों के बीच प्रतिस्पर्धा, एक-दूसरे की राजनीतिक स्थिति पर सवाल और टिकट को लेकर चल रही कवायद के बीच यह दावा सामने आ रहा है कि कांग्रेस की बैठक में एक नाम पर लगभग सहमति बन चुकी है, राजनीतिक चर्चाओं में पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अजीत लकड़ा की पत्नी अंशु लकड़ा को संभावित कांग्रेस प्रत्याशी माना जा रहा है, हालांकि पार्टी की ओर से अधिकृत घोषणा होने तक इसे अंतिम निर्णय नहीं माना जा सकता। शहर की सरकार चुनने के लिए होने वाले इस चुनाव में राजनीतिक दलों से अपेक्षा रहती है कि वे स्थानीय विकास, नागरिक सुविधाओं और जनहित के मुद्दों पर जनता के सामने अपना पक्ष रखें, लेकिन शिवपुर-चरचा में कांग्रेस के टिकट चयन को लेकर सामने आ रही चर्चाएं बताती हैं कि फिलहाल पार्टी के भीतर उम्मीदवार तय करने का सवाल ही सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है, यहां मुकबला केवल टिकट पाने के लिए नहीं, बल्कि पार्टी के भीतर अपने समर्थकों और राजनीतिक प्रभाव को बनाए रखने के लिए भी देखा जा रहा है।

बैठक में नामों पर मंथन, दावेदारों के बीच खींचतान की चर्चा
प्रत्याशी चयन को लेकर कांग्रेस की बैठक होने और उसमें दावेदारों को बुलाए जाने की जानकारी सामने आई है, बताया जा रहा है कि बैठक में संभावित उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा की गई और अलग-अलग दावेदारों की राजनीतिक स्थिति को लेकर विचार-विमर्श हुआ, स्थानीय

शिवपुर-चरचा में कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई, टिकट किसी एक को-नाराज कौन होगा?

शिवपुर-चरचा में कांग्रेस की टिकट पर सस्पेंस लगभग खत्म! अंशु लकड़ा के नाम की चर्चा, अपनों से ही घिर सकती है पार्टी

राजनीतिक चर्चाओं के अनुसार, इस प्रक्रिया के दौरान दावेदारों के बीच एक-दूसरे की राजनीतिक पृष्ठभूमि, कार्यशैली और व्यक्तिगत छवि को लेकर भी टिप्पणियां हुईं, हालांकि बैठक में वास्तव में क्या कहा गया, किसने किस पर क्या आरोप लगाया और पार्टी नेतृत्व ने किन बातों को कितना महत्व दिया, इसकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है, टिकट की प्रतिस्पर्धा में एक-दूसरे की कमियां गिनाने की राजनीति कोई नई बात नहीं है, लेकिन जब चुनाव शहर की सरकार का हो, तब प्रत्याशी चयन की बहस विकास, जनसंपर्क, संगठनात्मक क्षमता और जनता के बीच स्वीकार्यता पर केंद्रित होनी चाहिए, यदि चर्चा व्यक्तिगत आरोप-प्रत्यारोप तक सिमट जाती है, तो पार्टी के भीतर असंतोष बढ़ने की आशंका भी बनी रहती है।

सबसे बड़ा सवाल...

पति पर आरोप हों तो पत्नी की दावेदारी क्यों प्रभावित हो?

इस पूरे घटनाक्रम में एक महत्वपूर्ण सवाल व्यक्तिगत आरोपों और उम्मीदवार की अपनी राजनीतिक पहचान को लेकर उठ रहा है, राजनीतिक चर्चाओं में यह बात कही जा रही है कि किसी दावेदार के पति को लेकर आरोप या टिप्पणियां सामने आने पर उसकी पत्नी की टिकट की संभावना पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं, यहां एक बुनियादी बात समझना जरूरी है कि किसी व्यक्ति पर लगाए गए आरोप अपने आप में दोष सिद्ध होने के बराबर नहीं होते, इसी तरह किसी उम्मीदवार के परिवार के किसी सदस्य पर लगाए गए आरोपों के आधार पर उम्मीदवार को स्वतः दोषी नहीं माना जा सकता, यदि किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई मामला है, तो उसका आकलन उपलब्ध तथ्यों, आधिकारिक रिकॉर्ड और कानूनी स्थिति के आधार पर होना चाहिए, किसी महिला दावेदार की राजनीतिक योग्यता, जनसंपर्क, सार्वजनिक व्यवहार और संगठनात्मक भूमिका का

मूल्यांकन उसकी अपनी गतिविधियों के आधार पर होना चाहिए, केवल पति, परिवार या रिश्तेदारों को लेकर चल रही चर्चाओं के आधार पर उसकी दावेदारी को खारिज करना उचित कसौटी नहीं होगी, दूसरी ओर, यदि किसी भी दावेदार के विरुद्ध कोई प्रमाणित तथ्य या गंभीर मामला सामने आता है, तो पार्टी को

तीन दावेदारों के बीच टिकट की दौड़

शिवपुर-चरचा में कांग्रेस की ओर से अध्यक्ष पद के लिए तीन प्रमुख नामों की चर्चा है, इनमें पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अजीत लकड़ा की पत्नी अंशु लकड़ा, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष लालमुनि यादव और लंबे समय से कांग्रेस की राजनीति में सक्रिय पंकज मिश्रा की पत्नी नीता शामिल हैं, तीनों दावेदारों की ओर से अपने-अपने स्तर पर जनसंपर्क तेज किए जाने की बात सामने आ रही है, नीता मिश्रा लगातार लोगों से संपर्क कर रही हैं, लालमुनि यादव भी जनसंपर्क के मामले में पीछे नहीं बताए जा रहे हैं, जबकि अंशु लकड़ा भी अपनी दावेदारी को लेकर सक्रिय हैं, तीनों के समर्थक चाहते हैं कि पार्टी उनके नाम पर अधिकृत प्रत्याशी की मुहर लगाए, अब सवाल यह है कि कांग्रेस किस आधार पर अंतिम निर्णय लेती है, क्या पार्टी पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष के परिवार से जुड़े अनुभव को प्राथमिकता देगी, क्या पूर्व अध्यक्ष लालमुनि यादव पर पिछले भरोसा जताएगी या लंबे समय से संगठन की राजनीति में सक्रिय पंकज मिश्रा के परिवार को अवसर दिया जाएगा? फिलहाल इन सवालों के जवाब पार्टी के अधिकृत निर्णय के बाद ही सामने आएंगे।

सभी उम्मीदवारों के लिए समान मानदंड अपनाते हुए उसकी जांच करनी चाहिए, सवाल यह नहीं होना चाहिए कि किसके परिवार में किस पर आरोप लगे हैं, बल्कि यह होना चाहिए कि उम्मीदवार स्वयं कितनी पारदर्शिता, जवाबदेही और सार्वजनिक जिम्मेदारी के साथ राजनीति करता है।

अंशु लकड़ा के नाम पर मुहर की चर्चा, लेकिन क्या खत्म होगा विरोध?

अंशु लकड़ा के नाम पर मुहर की चर्चा, लेकिन क्या खत्म होगा विरोध?

अंशु लकड़ा को टिकट मिला तो दूसरी दावेदारियों का क्या होगा?

यदि अंशु लकड़ा के नाम पर अंतिम मुहर लगती है, तो कांग्रेस के भीतर अगला सवाल लालमुनि यादव और नीता मिश्रा की प्रतिक्रिया को लेकर होगा, क्या दोनों दावेदार पार्टी के फैसले को स्वीकार करेंगे? क्या उनके समर्थक अधिकृत प्रत्याशी के साथ प्रचार में उतरेंगे या टिकट नहीं मिलने के बाद असंतोष सामने आएगा? स्थानीय चर्चाओं में यह आशंका भी जताई जा रही है कि प्रत्याशी चयन से असंतुष्ट कुछ लोग अलग राजनीतिक विकल्प तलाश सकते हैं, निर्दलीय चुनाव लड़ने की संभावना को लेकर भी चर्चाएं होने लगी हैं, हालांकि अभी किसी दावेदार के निर्दलीय मैदान में उतरने का पक्का निर्णय सामने नहीं आया है, ऐसी स्थिति में कांग्रेस को प्रत्याशी घोषित करने के साथ-साथ असंतोष दूर करने की रणनीति भी बनानी होगी, यदि टिकट के बाद बगावत होती है, तो उसका असर चुनावी अभियान पर पड़ सकता है, लेकिन यदि पार्टी समय रहते संवाद स्थापित कर लेती है, तो संभावित नुकसान को रोका जा सकता है।

कांग्रेस की आंतरिक खींचतान से भाजपा को मिल सकता है अवसर

शिवपुर-चरचा में कांग्रेस की टिकट प्रक्रिया पर चर्चा के बीच भाजपा की रणनीति भी महत्वपूर्ण हो जाती है, चुनाव में विपक्षी दल के भीतर असंतोष की स्थिति बने तो दूसरे दल को राजनीतिक अवसर मिल सकता है, हालांकि केवल आंतरिक मतभेदों के आधार पर यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि भाजपा को इसका लाभ निश्चित रूप से मिलेगा, भाजपा के लिए भी चुनौती यही होगी कि वह अपना उम्मीदवार तय करके संगठन को एकजुट रखे और स्थानीय मुद्दों पर प्रभावी चुनावी अभियान चलाए, दूसरी ओर कांग्रेस को यह साबित करना होगा कि टिकट की प्रतिस्पर्धा के बावजूद पार्टी अंतिम समय में एक साझा रणनीति के साथ मैदान में उतर सकती है, नगर पालिका चुनाव में मतदाता का ध्यान केवल पार्टी के नाम पर नहीं, बल्कि स्थानीय प्रत्याशी, उसके जनसंपर्क और शहर के विकास से जुड़े सवालों पर भी रहता है, इसलिए आंतरिक विवाद किसी दल के लिए नुकसान की संभावना पैदा कर सकते हैं, लेकिन चुनावी परिणाम कई दूसरे कारकों पर भी निर्भर करते हैं।

शहर की सरकार के चुनाव में विकास के मुद्दे कहां हैं?

शिवपुर-चरचा में प्रत्याशी चयन को लेकर चल रही चर्चा के बीच यह सवाल भी महत्वपूर्ण है कि चुनावी बहस शहर की वास्तविक समस्याओं पर कब केंद्रित होगी, नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव स्थानीय नागरिक सुविधाओं से सीधे जुड़ा होता है, सड़क, नाली, पेयजल, सफाई, स्ट्रीट लाइट, जल निकासी और अन्य बुनियादी सुविधाओं को लेकर जनता की अपेक्षाएं होती हैं, दावेदारों को जनता के सामने यह स्पष्ट करना होगा कि वे शहर की समस्याओं को किस तरह प्राथमिकता देंगे और नगर पालिका के कामकाज में पारदर्शिता कैसे सुनिश्चित करेंगे, पार्टी नेतृत्व को भी उम्मीदवार चुनते समय केवल राजनीतिक समीकरणों के बजाय इन पहलुओं पर विचार करना चाहिए, व्यक्तिगत आरोपों की राजनीति कुछ समय के लिए चर्चा का विषय बन सकती है, लेकिन अंततः मतदाताओं के सामने उम्मीदवार की कार्ययोजना और स्थानीय मुद्दों पर उसका रुख भी महत्वपूर्ण होगा।

अब औपचारिक घोषणा और संगठन की एकजुटता पर नजर

फिलहाल शिवपुर-चरचा में कांग्रेस की ओर से अंशु लकड़ा, लालमुनि यादव और नीता मिश्रा के नाम चर्चा में हैं, सूत्रों के दावे के अनुसार अंशु लकड़ा के नाम पर सहमति बनने की बात कही जा रही है, लेकिन आधिकारिक घोषणा होने तक तस्वीर पूरी तरह साफ नहीं है, यदि अंशु लकड़ा को टिकट मिलता है, तो पार्टी के सामने बाकी दावेदारों को साथ रखने की चुनौती होगी, यदि किसी दूसरे नाम पर मुहर लगती है, तो उसके बाद संभावित असंतोष को संभालना होगा, दोनों ही स्थितियों में कांग्रेस के लिए संगठनात्मक एकजुटता महत्वपूर्ण रहेगी, शिवपुर-चरचा में असली परीक्षा केवल प्रत्याशी घोषित करने की नहीं, बल्कि टिकट के बाद पार्टी को एकजुट रखने की होगी, टिकट की घोषणा से यह जरूर साफ हो जाएगा कि कांग्रेस किस चेहरे पर भरोसा जता रही है, लेकिन चुनावी अभियान में उस भरोसे को कितना समर्थन मिलता है, यह आगे की राजनीतिक गतिविधियों से सामने आएगा, फिलहाल शहर की राजनीति में सबसे बड़ा सवाल यही है- क्या कांग्रेस एक नाम पर सहमति बनाकर एकजुट चुनाव लड़ पाएगी, या टिकट की अंदरूनी खींचतान उसके लिए चुनौती बन जाएगी? इसका जवाब पार्टी की आधिकारिक घोषणा और उसके बाद दावेदारों की भूमिका से ही स्पष्ट होगा।

सड़क और वन अधिकार के मुद्दे पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का आंदोलन, 27 अक्टूबर से निकलेगी 100 किमी पदयात्रा

28 अक्टूबर को बैकुंठपुर कलेक्ट्रेट घेराव की घोषणा, सोनहत क्षेत्र की जर्जर सड़कों और वनभूमि से जुड़े मामले को लेकर कलेक्टर को सौंपा सूचना पत्र

बैकुंठपुर 14 अक्टूबर 2026 (घटती-घटना)। कोरिया जिले में सड़क निर्माण और वनभूमि से जुड़े मुद्दों को लेकर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने आंदोलन का ऐलान किया है, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष इंजीनियर संजय सिंह कमरों की ओर से कलेक्टर कोरिया को सौंपे गए सूचना पत्र के अनुसार, पार्टी 27 अक्टूबर 2026 से सोनहत ब्लॉक में 100 किलोमीटर की पदयात्रा एवं सांकेतिक शव यात्रा निकालेगी, इसके बाद

28 अक्टूबर को बैकुंठपुर स्थित कलेक्ट्रेट का घेराव कर आमसभा आयोजित की जाएगी और ज्ञापन सौंपा जाएगा।

सोनहत क्षेत्र की सड़कों की बदहाली का मुद्दा

सूचना पत्र में सोनहत ब्लॉक के रामगढ़ से आनंदपुर-गयोनी मार्ग तथा रामगढ़ से सेमरिया मार्ग की सड़कों की स्थिति पर सवाल उठाए गए हैं, पार्टी ने आरोप लगाया है कि ग्राम पंचायत रामगढ़, आनंदपुर, धनपुर, नटवाही, चुलादर, सलगवांकुड़, कटथी तथा सेमरिया मार्ग से जुड़े ग्राम पंचायतों और अंतर्गत आने वाले गांवों का उल्लेख करते हुए सड़क समस्या के तत्काल निराकरण की मांग की गई है। पार्टी का कहना है कि



ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए संबंधित मामलों पर निर्माण कार्य कराया जाना चाहिए।

वनभूमि और क्षतिपूर्क वनीकरण पर भी आपत्ति
गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने अपने सूचना पत्र में परसा ओपन कास्ट कोल माइंस के एवज में कोरिया वनमंडल के वन परिक्षेत्र पोड़ी-बचरा में स्वीकृत क्षतिपूर्क वनीकरण से जुड़े कार्यों पर

भी आपत्ति जताई है, पत्र के अनुसार, पार्टी का आरोप है कि इस कार्य में ग्रामसभा की अनुमति के बिना आदिवासियों की जमीन का उपयोग किया जा रहा है, पार्टी ने इसे संविधान के प्रावधानों के विपरीत बताते हुए संबंधित कार्य को तत्काल निरस्त करने की मांग की है, पत्र में यह भी कहा गया है कि संबंधित जमीन क्षेत्र के आदिवासियों के निस्तार के लिए उपयोग में आती है और

इस मामले में सरकार तथा वन विभाग को हस्तक्षेप करना चाहिए।

27 अक्टूबर से पदयात्रा, अगले दिन कलेक्ट्रेट घेराव

पार्टी के सूचना पत्र के मुताबिक, 27 अक्टूबर 2026 को सोनहत ब्लॉक के त्रिवेणी गढ़घाट से 100 किलोमीटर की पदयात्रा एवं सांकेतिक शव यात्रा प्रारंभ की जाएगी, यात्रा उसी दिन देर रात सोनहत पहुंचेगी, इसके बाद 28 अक्टूबर को सोनहत से कूच कर बैकुंठपुर कलेक्ट्रेट पहुंचकर घेराव और आमसभा की जाएगी। आंदोलन के दौरान ज्ञापन सौंपने की भी घोषणा की गई है, सूचना पत्र पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष इंजीनियर संजय सिंह कमरों के हस्ताक्षर हैं, इसकी प्रतिलिपि पुलिस अधीक्षक कोरिया को भी भेजे जाने का उल्लेख है।

ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष अमित सिंह देव के नेतृत्व में निकली पदयात्रा, राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन

लखनपुर, 14 अक्टूबर 2026।

ब्लॉक कांग्रेस कमेटी लखनपुर के ब्लॉक अध्यक्ष अमित सिंह देव के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अम्बेडकर चौक से तहसील कार्यालय तक पदयात्रा निकाली तथा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), उदयपुर के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने, मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की समीक्षा कराने, हटाए गए पात्र मतदाताओं के नाम बहाल करने तथा ईवीएम के स्थान पर बलैट पेपर से चुनाव कराने की मांग की गई। साथ ही मतदाता सूची एवं निर्वाचन



प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं की स्वतंत्र जांच, निर्वाचन संबंधी डिजिटल रिकॉर्ड का ऑडिट तथा जांच में दोष सिद्ध होने पर जिम्मेदार लोगों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की मांग की गई। इस अवसर पर जिला उपाध्यक्ष कृपा शंकर गुप्ता, सत्येंद्र राय, वीरेंद्र सिंह देव, हर्ष सिंह देव, रामसुजन द्विवेदी, मंडल अध्यक्ष रमेश

जायसवाल, जगरोपण यादव, विनोद सिंह, भूखल राम, देवनारायण सिंह, मुन्ना यादव, जमील खान, भूपेंद्र जायसवाल, गणू खान, मोजीब खान, इब्रान, बाबर, अम्बिका यादव, परमेश्वर सिंह, रोहनी सिंह, मोहर लाल, रोबाज, कृष्णा यादव, मकसूद खान एवं स्वर्पिलन शर्मा सहित अन्य कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे।



बच्चों के हिस्से का मैदान, आयोजनों के नाम! बैकुंठपुर के मिनी स्टेडियम में सालभर उत्सव, विद्यार्थियों के खेलकूद की सुध लेने वाला कौन?

बैकुंठपुर में आयोजनों के लिए मैदान नहीं या जिम्मेदारों को दूसरा विकल्प नहीं?

बैकुंठपुर का मिनी स्टेडियम बना 'ऑल इन वन आयोजन केंद्र', स्कूल का मैदान बना आयोजनों का अखाड़ा, बच्चों की पढ़ाई जाए भाड़ में!

मंच सजते रहे, बच्चे मैदान को तरसते रहे! बैकुंठपुर में आयोजनों की भरमार, स्कूल के मैदान के इस्तेमाल पर उठे सवाल

पढ़ाई स्कूल में, आयोजन मैदान में—फिर बच्चों का मैदान किस काम का? राष्ट्रीय पर्व, राजनीतिक कार्यक्रम, गरबा और रावण दहन के बीच मिनी स्टेडियम की भूमिका पर सवाल

स्कूल परिसर में लगातार कार्यक्रम मों पर सवाल, विद्यार्थियों की सुविधा कब बनेगी प्राथमिकता?

कभी राष्ट्रीय पर्व, कभी राजनीतिक जलसा, कभी गरबा तो कभी रावण दहन—कार्यक्रम मों की तैयारी में मैदान व्यस्त, बच्चों की पढ़ाई और खेलकूद पर सवाल

शहर में आयोजन के लिए अलग मैदान नहीं, या जिम्मेदारों की नजर में स्कूल का मैदान ही सबसे सुविधाजनक?

—रवि सिंह—

बैकुंठपुर, 14 अक्टूबर 2026 (घटती-घटना)।

बैकुंठपुर में विकास की एक ऐसी व्यवस्था दिखाई दे रही है, जहाँ स्कूल का मैदान सिर्फ स्कूल का नहीं रहा। जब राष्ट्रीय पर्व मनाया हो तो मिनी स्टेडियम, राज्योत्सव हो तो मिनी स्टेडियम, जिला गठन उत्सव हो तो मिनी स्टेडियम, राजनीतिक आयोजन हो तो भी मिनी स्टेडियम, गरबा करना हो तो भी मिनी स्टेडियम और रावण दहन की तैयारी करनी हो तो भी नजर इसी मैदान पर टिक जाती है, लगता है शहर में आयोजनों के लिए मैदानों की कमी का समाधान जिम्मेदारों ने बड़ी आसानी से निकाल लिया है—जहाँ बच्चे पढ़ते हैं, वहीं पूरा शहर कार्यक्रम भी कर ले!

शासकीय आदर्श रामानुज उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के मिनी स्टेडियम में सालभर होने वाले आयोजनों को लेकर अब यही सवाल उठने लगा है कि आखिर यह मैदान विद्यार्थियों के लिए है या हर छोटे-बड़े कार्यक्रम के लिए सबसे सुविधाजनक ठिकाना बन चुका है? कार्यक्रमों की सूची लंबी होती जा रही है, तैयारियों की रैनक बढ़ती जा रही है, लेकिन मैदान के मूल उपयोग—खेलकूद और विद्यार्थियों की गतिविधियों—की चिंता किसे है, यह सवाल



मिनी स्टेडियम का नाम 'मिनी', काम पूरे शहर का!

मैदान का नाम मिनी स्टेडियम है, लेकिन इस्तेमाल ऐसा मानो शहर के हर आयोजन का स्थायी पता यही हो, राष्ट्रीय पर्व से लेकर सांस्कृतिक कार्यक्रमों तक, अलग-अलग आयोजनों के लिए बार-बार इसी जगह की ओर रुख किया जाता है, सार्वजनिक कार्यक्रम होना गलत नहीं है, शहर में उत्सव होंगे, सांस्कृतिक गतिविधियाँ होंगी और राष्ट्रीय पर्व भी धूमधाम से मनाए जाएंगे, लेकिन क्या इन आयोजनों के लिए ऐसा स्थान नहीं होना चाहिए, जहाँ स्कूल की पढ़ाई और खेल गतिविधियों पर दबाव न पड़े? यदि बैकुंठपुर में बड़े कार्यक्रमों के लिए उपयुक्त मैदान की कमी है, तो यह अपने आप में प्रशासनिक योजना का विषय है, इसका स्थायी समाधान खोजने के बजाय हर बार विद्यालय के मैदान को तैयार करना कितना उचित है? कहीं ऐसा तो नहीं कि वैकल्पिक व्यवस्था विकसित करने की जिम्मेदारी से आसान रास्ता यही मान लिया गया हो कि स्कूल का मैदान उपलब्ध है, इसलिए आयोजन भी यहीं करा लिया जाए? यह सवाल इसलिए भी जरूरी है, क्योंकि किसी भी शहर की पहचान केवल बड़े आयोजन से नहीं बनती, शहर की पहचान इस बात से भी बनती है कि वहाँ बच्चों के लिए कितनी अच्छी शैक्षणिक और खेल सुविधाएँ हैं, यदि आयोजन की सुविधा के सामने विद्यार्थियों की जरूरतें पीछे छूट रही हैं, तो इस व्यवस्था की समीक्षा होनी ही चाहिए।

अब भी अपनी जगह खड़ा है।
बच्चों की पढ़ाई अपनी जगह,
आयोजन की तैयारी अपनी जगह!

किसी कार्यक्रम का आयोजन एक दिन में नहीं हो जाता, मंच बनता है, पंडाल लगता है, सजावट होती है, बिजली की व्यवस्था होती है, आने-जाने के रास्ते बनाए जाते हैं और आयोजन के बाद मैदान को फिर से सामान्य स्थिति में लाने का काम भी होता है, स्थानीय स्तर पर उठ रही शिकायतों के मुताबिक, कई आयोजनों की तैयारियों में कार्यक्रम से पहले तीन से चार दिन तक मैदान प्रभावित रहता है, अब जरा इस व्यवस्था की तस्वीर देखिए—एक ओर विद्यार्थी स्कूल पहुँचते हैं, दूसरी ओर मैदान में कार्यक्रम की तैयारी चलती है, बच्चों के लिए मैदान खेलकूद का स्थान है, लेकिन आयोजन की तैयारी शुरू होते ही वही मैदान किसी बड़े समारोह की शक्ल लेने लगता है, विद्यार्थियों को

खेलना है तो जगह चाहिए, आयोजकों को कार्यक्रम करना है तो मैदान चाहिए, ऐसे में सवाल उठता है कि बच्चों के हिस्से में क्यों चला जाता है? व्यंग्य यह है कि कार्यक्रमों की तैयारी के लिए दिन गिने जाते हैं, मंच की सजावट पर ध्यान दिया जाता है, भीड़ की व्यवस्था की चिंता होती है, लेकिन विद्यार्थियों की नियमित गतिविधियों पर कितना असर पड़ता है—इसका हिसाब कौन रखता है? क्या किसी आयोजन की सफलता का पैमाना सिर्फ रौशनी, सजावट, भीड़ और मंच तक सीमित रह गया है?

गरबा की तैयारी शुरू, मैदान फिर चर्चा में
अब गरबा आयोजन की तैयारी को लेकर मैदान एक बार फिर चर्चा में है, गरबा जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम शहर की सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का हिस्सा है, लोग उत्साह से भाग लेते हैं और आयोजक बेहतर

व्यवस्था करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सवाल आयोजन के विरोध का नहीं, आयोजन स्थल के चयन का है, यदि हर बड़े कार्यक्रम के लिए उसी मैदान को चुना जाएगा, जहाँ स्कूल के विद्यार्थी पढ़ते हैं और खेलते हैं, तो स्वाभाविक है कि मैदान के उपयोग को लेकर सवाल उठेंगे, क्या गरबा के लिए कोई वैकल्पिक स्थान उपलब्ध नहीं है? यदि उपलब्ध है तो उसका उपयोग क्यों नहीं किया जाता? और यदि उपलब्ध नहीं है तो इतने समय से इस समस्या को किस प्रकार की असुविधा होती है—इन सवालों का स्पष्ट जवाब सामने आना चाहिए, सिर्फ कार्यक्रम की तैयारी देखकर उसे सफल मान लेना पर्याप्त नहीं है, यह भी देखना जरूरी

जिम्मेदारों से सीधा सवाल—वैकल्पिक मैदान कब बनेगा?

बैकुंठपुर में बड़े आयोजनों के लिए अलग मैदान विकसित करने की जरूरत पर अब गंभीरता से विचार होना चाहिए, नगर निकाय और जिला प्रशासन को उपलब्ध सार्वजनिक स्थलों का आकलन करना चाहिए, ताकि राष्ट्रीय पर्व, सांस्कृतिक कार्यक्रम, राजनीतिक आयोजन और अन्य बड़े समारोह ऐसे स्थानों पर हो सकें जहाँ स्कूल की नियमित गतिविधियाँ प्रभावित न हों, साथ ही, मिनी स्टेडियम में आयोजन की अनुमति देने के लिए स्पष्ट नियम बनाए जा सकते हैं, विद्यालय प्रबंधन की सहमति, कार्यक्रम की तारीख, तैयारियों की अवधि, मैदान को वापस उपयोग योग्य बनाने की समय-सीमा और यातायात व्यवस्था जैसे पहलुओं को अनुमति का हिस्सा बनाया जाना चाहिए, इससे आयोजनों पर रोक लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और विद्यार्थियों की सुविधाएँ भी सुरक्षित रखी जा सकेंगी, प्रशासन से यह भी स्पष्ट होना चाहिए कि क्या मिनी स्टेडियम का उपयोग केवल अस्थायी आवश्यकता के तहत किया जा रहा है या यही व्यवस्था आगे भी जारी रहने वाली है, यदि यह अस्थायी व्यवस्था है, तो स्थायी विकल्प की समय-सीमा क्या है? और यदि कोई वैकल्पिक मैदान नहीं है, तो उसे विकसित करने की योजना कब बनेगी?

आयोजन की चमक में बच्चों का मैदान गुम न हो जाए...

बैकुंठपुर में उत्सव मनाए जाएँ, सांस्कृतिक कार्यक्रम हों, राष्ट्रीय पर्व गरिमा से आयोजित हों—इस पर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, लेकिन उत्सव की चमक ऐसी भी नहीं होनी चाहिए कि विद्यार्थियों की पढ़ाई और खेलकूद की जरूरतें पीछे छूट जाएँ, शहर के विकास का अर्थ केवल मंच बनाना और कार्यक्रम करना नहीं, बल्कि बच्चों के लिए बेहतर सुविधाएँ सुनिश्चित करना भी है, मिनी स्टेडियम को सालभर आयोजन स्थल बनाए रखने की व्यवस्था पर अब समीक्षा जरूरी है, यदि कार्यक्रमों की तैयारी के कारण मैदान बार-बार विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध नहीं हो पाता, तो प्रशासन को इसका समाधान तलाशना चाहिए, आखिर मैदान की उपयोगिता का आकलन केवल इस आधार पर क्यों हो कि वहाँ कितने बड़े कार्यक्रम हुए? यह भी देखा जाना चाहिए कि वहाँ पढ़ने वाले बच्चों को कितने दिन मैदान मिला, व्या्यात्मक सवाल यही है कि बैकुंठपुर में कार्यक्रमों के लिए मंच तो बार-बार सज जाता है, लेकिन विद्यार्थियों के खेल और पढ़ाई के लिए मैदान कब सजेगा? क्या स्कूल का मिनी स्टेडियम इसी तरह हर आयोजन का स्थायी ठिकाना बना रहेगा, या जिम्मेदार कभी बच्चों के हिस्से की जगह और समय को भी प्राथमिकता देंगे? अब जरूरत है—आयोजन भी हो, लेकिन स्कूल की कीमत पर नहीं, शहर में उत्सव भी हों, लेकिन बच्चों का मैदान छिनकर नहीं।

है कि उस सफलता की कीमत किसी दूसरे जरूरी काम को तो नहीं चुकानी पड़े रही।

स्कूल के आसपास छात्रावास भी, लेकिन योजना किसकी?

परिसर के आसपास विद्यालयों और छात्रावास में रहने वाले बच्चों की मौजूदगी इस विषय को और गंभीर बनाती है, छात्रावास में रहने वाले विद्यार्थियों की दिनचर्या पढ़ाई, भोजन, आराम और अन्य गतिविधियों से जुड़ी होती है, बड़े आयोजनों के समय अतिरिक्त आवाजाही, शोर, वाहनों और तैयारियों से उनके वातावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसकी समीक्षा जरूरी है, यह कहना उचित नहीं होगा कि हर कार्यक्रम से पढ़ाई निश्चित रूप से बाधित होती है। लेकिन जब लगातार आयोजनों के कारण मैदान का उपयोग बदलता रहता है, तो विद्यालय प्रबंधन और शिक्षा विभाग से यह पूछना स्वाभाविक है कि विद्यार्थियों की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए क्या व्यवस्था बनाई गई है, क्या आयोजनों का कैलेंडर पहले से तैयार होता है? क्या स्कूल के समय और खेल गतिविधियों को ध्यान में रखकर अनुमति दी जाती है? क्या कार्यक्रम के बाद मैदान को समय पर विद्यार्थियों के उपयोग के लिए तैयार किया जाता है? यदि इन सवालों के जवाब स्पष्ट नहीं हैं, तो व्यवस्था में सुधार की जरूरत है, बच्चों की शिक्षा को केवल कक्षा की चारदीवारी तक सीमित नहीं किया जा सकता। मैदान भी उनके विकास का हिस्सा है, खेल का अवसर छिनने पर उसका असर केवल एक खाली जगह

शहर के बीच कार्यक्रम यातायात भी परेशान

मिनी स्टेडियम शहर के मध्य क्षेत्र में होने के कारण बड़े आयोजनों के समय यातायात पर दबाव बढ़ने की आशंका भी रहती है, कार्यक्रम में आने वाले लोगों और वाहनों की आवाजाही के बीच पार्किंग, प्रवेश-निकास और सड़क पर सुचारु आवागमन की व्यवस्था महत्वपूर्ण हो जाती है, ऐसे में आयोजकों और प्रशासन की जिम्मेदारी केवल कार्यक्रम स्थल को सजाने तक सीमित नहीं हो सकती, यातायात प्रबंधन, पार्किंग और आसपास के लोगों की सुविधा का भी ध्यान रखना होगा। यदि बार-बार आयोजन के समय वही समस्याएँ सामने आती हैं, तो हर बार अस्थायी इंतजाम करने के बजाय स्थायी योजना बनाना जरूरी है, शहर के बीचोंबीच मैदान होना सुविधा हो सकती है, लेकिन हर कार्यक्रम के लिए उसी स्थान को चुनना अपने आप में पर्याप्त नहीं है, सुविधा किसके लिए है—आयोजकों के लिए, दर्शकों के लिए, या विद्यार्थियों के लिए भी? यही वह सवाल है, जिस पर जिम्मेदारों को विचार करना चाहिए।

जेएनयू में छात्राओं से कथित यौन दुर्व्यवहार के मामले पर भाजपा महिला मोर्चा का प्रदर्शन

शिवपुर चरचा में रैली निकालकर जताया विरोध, महिलाओं के सम्मान सुरक्षा और निष्पक्ष जांच की उदाई मांग

बैकुंठपुर, 14 अक्टूबर 2026 (घटती-घटना)। जेएनयू में छात्राओं से कथित यौन दुर्व्यवहार के मामले को लेकर भाजपा महिला मोर्चा ने नगर पालिका शिवपुर चरचा में विरोध प्रदर्शन किया, भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष विभा अवस्थी के निर्देशानुसार, भाजपा जिलाध्यक्ष देवेन्द्र तिवारी के मार्गदर्शन

तथा महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष रीता यादव के नेतृत्व में आयोजित इस प्रदर्शन में महिला मोर्चा की पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने महिलाओं के सम्मान, सुरक्षा और न्याय का मुद्दा उठाया। इस दौरान रैली निकालकर विरोध जताया गया तथा कांग्रेस और राहुल गांधी के विरोध में नारे लगाए गए। प्रदर्शन के दौरान महिला मोर्चा की



पदाधिकारियों ने कहा कि महिलाओं की गरिमा और सुरक्षा सुनिश्चित करना पूरे समाज

की सामूहिक जिम्मेदारी है, महिलाओं से जुड़े गंभीर मामलों में निष्पक्ष जांच और न्याय की

सुनिश्चित करने की मांग भी उतनी ही आवश्यक है, महिला मोर्चा ने महिलाओं की सुरक्षा

कार्यकर्ता रहीं उपस्थित कार्यक्रम में नगर पंचायत अध्यक्ष गायत्री सिंह, भाजपा जिला उपाध्यक्ष राजेश सिंह एवं बसंत राय, प्रदेश सह मीडिया प्रभारी रेनु सिंह, भाजपा मंडल अध्यक्ष दीपा

विश्वकर्मा, महिला मोर्चा जिला उपाध्यक्ष संगीता गुप्ता एवं रेखा वर्मा, जिला महामंत्री ममता कुशवाहा, कृती चक्रधारी, वर्षा साहू, सुश्री साक्षी सिंह, प्रियंका सिंह, दीपा राजेश सिंह, उर्मिला सिंह, सीमा सिंह, सिमरन श्रीवास्तव, प्रियंका विश्वकर्मा, शिल्पा शर्मा, अनिता गुप्ता, रामकली पाल एवं दीक्षा राजवाड़े सहित भाजपा मंडल चर्चा की महिला मोर्चा की सदस्य, वरिष्ठ भाजपा कार्यकर्ता तथा जिला कोरिया महिला मोर्चा की पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहीं।

3200 करोड़ का घोटाला : 2174 करोड़ की अवैध शराब बेची...

183 करोड़ का फर्जी पेमेंट, हवाला से दुबई तक पहुंची रकम, 10वां चालान पेश

रायपुर, 14 अक्टूबर 2026। 3200 करोड़ के शराब घोटाले में एसीबी-ईओडब्ल्यू ने 20 लोगों और 22 फर्मो-कंपनियों के खिलाफ 10वां चालान पेश किया है। 27 हजार पन्नों के दस्तावेजों के साथ यह चालान रायपुर की विशेष अदालत में पेश किया गया। इसमें रामगोपाल अग्रवाल, यश टुटेजा और अख्तर डेबर समेत अन्य लोगों के नाम शामिल हैं। जांच एजेंसी के मुताबिक, शराब सिडिकेंट ने आबकारी व्यवस्था का दुरुपयोग कर अवैध कमीशन वसूला। बिना आबकारी शुल्क चुकाए अतिरिक्त शराब तैयार कराई गई और डुलीकेट होलोग्राम व फर्जी परिवहन परमिट के जरिए सरकारी दुकानों तक पहुंचाई गई। इस शराब की बिक्री सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज नहीं की जाती थी। बिक्री से मिला कैश सिडिकेंट तक पहुंचाया जाता था। चालान में अवैध रकम का हवाला और आंगंडिया नेटवर्क के जरिए अलग-अलग शहरों और दुबई तक पहुंचाने के आरोपों का भी जिक्र है। जांच एजेंसी ने कैश को बैंक खातों में लाने के रूप में दिखाकर जमीन और अन्य संपत्तियों में निवेश किए जाने से जुड़े साक्ष्य भी शामिल किए हैं। 2 आरोपियों बीआर लोहिया और कुमार भाई ठक्कर के खिलाफ परारी में चालान पेश किया गया है। मामले में आगे की जांच जारी है। इसके अलावा एसीबी-ईओडब्ल्यू ने 182.98 करोड़ रुपये के मैनपावर भुगतान से जुड़े मामले में छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड के तत्कालीन प्रबंध संचालक अरुणपति



5 कंपनियों को दिया 182.98 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान

एसीबी-ईओडब्ल्यू की जांच के मुताबिक, 2019 से 2023 के बीच पांच मैनपावर कंपनियों को कुल 182.98 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भुगतान किया गया। इसमें ओवरटाइम, बोनास, चार अतिरिक्त दिनों के काम और इन मर्दानों पर सेवा शुल्क की रकम शामिल थी। जांच एजेंसी का कहना है कि नियम के मुताबिक, कंपनियों को पहले कर्मचारियों को यह पैसा देना था और फिर निगम से भुगतान लेना था। लेकिन आरोप है कि कंपनियों ने कर्मचारियों को पूरी रकम दिए बिना या ज्यादा रकम के बिल बनाकर निगम से पैसा ले लिया। कर्मचारियों ने अपने बयान में कहा कि उन्हें सामान्य मासिक वेतन तो मिलता था, लेकिन उनके नाम पर अतिरिक्त भुगतान नहीं मिला।

त्रिपाठी और एजेंसी संचालक बीआर लोहिया के खिलाफ 6वां पूरक चालान पेश किया है। जांच एजेंसी का आरोप है कि सरकारी शराब दुकानों में काम करने वाले कर्मचारियों के नाम पर 5 कंपनियों ने ओवरटाइम, बोनास और चार अतिरिक्त दिनों के काम का

भुगतान लिया, लेकिन कर्मचारियों को यह रकम नहीं दी गई। जांच एजेंसी के मुताबिक, इस तरह शासन को 182 करोड़ 98 लाख रुपए से अधिक का नुकसान हुआ। चालान में भुगतान के रिकॉर्ड, कंपनियों के दस्तावेज, बैंक संबंधी कागजात, कर्मचारियों के बयान

और कथित कमीशन के लेन-देन से जुड़े सबूत शामिल हैं। मामले में आरोपों पर अदालत का फैसला आना बाकी है। बचाव पक्ष के वकील फैजल रिजवी के मुताबिक, कुल 42 लोगों को आरोपी बनाया गया है। उन्होंने बताया कि पहले से गिरफ्तार आरोपियों की कंपनियों को भी इस चालान में शामिल किया गया है। चालान पेश होने के बाद अब मामले में अगली सुनवाई 31 अक्टूबर को होगी।

त्रिपाठी के कार्यकाल में 152.40 करोड़ का भुगतान

अरुणपति त्रिपाठी 9 मई 2019 से 16 अप्रैल 2023 तक छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड के प्रबंध संचालक थे। उनके कार्यकाल में पांचों कंपनियों को करीब 152.40 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भुगतान किया गया। इसमें ओवरटाइम के करीब 82.66 करोड़ रुपए, बोनास के 12.21 करोड़ रुपए, चार अतिरिक्त दिनों के काम के 45.02 करोड़ रुपए और सेवा शुल्क के 12.51 करोड़ रुपए शामिल हैं। एसीबी-ईओडब्ल्यू का आरोप है कि, अनवर डेबर के कहने पर निविदा की शर्तों में बदलाव किया गया और कर्मचारियों के नाम पर अतिरिक्त भुगतान की व्यवस्था बनाई गई। जांच एजेंसी के अनुसार, इस रकम में से कमीशन भी लिया जाता था।

हाईकोर्ट बोला...पति को भिखारी कहना मानसिक कूरता, तलाक मंजूर...

मां से अलग रहने झगड़ा करती थी पत्नी, फैमिली कोर्ट का फैसला रद्द

बिलासपुर, 14 अक्टूबर 2026। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक वैवाहिक विवाद में पति को 'भिखारी' कहना मानसिक कूरता माना है। जस्टिस पार्थ प्रथिम साहू और जस्टिस सचिन सिंह राजपूत की डिवीजन बेंच ने जगदलपुर फैमिली कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया। साथ ही, पति की अपील स्वीकार करते हुए उसे तलाक की मंजूरी दे दी। पति ने आरोप लगाया था कि पत्नी उसके साथ गाली-गलौज और मारपीट करती थी। कम कमाई पर उसे भिखारी कहकर अपमानित करती थी। उसके चरित्र पर शक करती थी और मां से अलग रहने का दबाव बनाती थी। वहीं, पत्नी ने आरोपों को नकारते हुए पति और उसके परिवार पर दुर्व्यवहार का आरोप लगाया था। मामले में पति ने हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13(1)(क) के तहत पत्नी से तलाक मांगा था। हालांकि, फैमिली कोर्ट ने 10 दिसंबर 2022 को उसकी याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद पति ने फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।

कम आमदनी पर ताने, चरित्र पर संदेह करने का आरोप

जगदलपुर का रहने वाला पति बिजली मैकेनिक है। उसकी शोदी 2017 में हुई थी। पति का आरोप था कि पत्नी उसके साथ गाली-गलौज और मारपीट करती थी। वह कम कमाई को लेकर ताने मारती थी और उसे भिखारी कहकर अपमानित करती थी। पति के मुताबिक, पत्नी उसके चरित्र पर शक करती थी और उसे अपनी मां से अलग रहने के लिए दबाव डालती थी। इन सब वजहों से उनके वैवाहिक जीवन में लगातार तनाव बना रहता था। वहीं, पत्नी ने इन आरोपों को गलत बताया। पति और उसके परिवार पर दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया था।



हर झगड़ा कूरता नहीं, लेकिन व्यवहार का समझ प्रभाव जरूरी

हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों के गवाहों के बयान और सबूतों की जांच की। डिवीजन बेंच ने कहा कि गर्भपात, आत्महत्या की धमकी और अन्य निजी आरोपों के पर्याप्त सबूत नहीं होने के कारण इसे कूरता का आधार नहीं माना जा सकता। हालांकि, गवाहों के बयानों से यह साफ हुआ कि पति-पत्नी के बीच लगातार झगड़े होते थे, एक-दूसरे पर भरोसे की कमी थी और परिवार के सदस्यों के साथ संबंध अच्छे नहीं थे। साथ ही, साथ रहने के तरीके को लेकर भी उनके बीच बार-बार विवाद होता था। हाईकोर्ट ने कहा कि पति-पत्नी के बीच हर झगड़े या मतभेद को कूरता नहीं माना जा सकता। इसके लिए उनके पूरे वैवाहिक जीवन और एक-दूसरे के साथ व्यवहार को देखना जरूरी है। इस मामले में लगातार विवादों से पति को हुई मानसिक परेशानी सामान्य वैवाहिक अनबन से ज्यादा थी। हाईकोर्ट ने कहा कि फैमिली कोर्ट सभी सबूतों को मिलाकर सही तरीके से उनका आकलन नहीं कर पाया था। इसी वजह से हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट का फैसला रद्द कर दिया और मानसिक कूरता के आधार पर पति को तलाक की मंजूरी दे दी।

भ्रष्टाचार के खिलाफ एंटी-कorrupशन ब्यूरो का एक्शन

2 कृषि अधिकारियों को रिश्वत लेते रंगे हाथों किया गिरफ्तार

कांकेर, 14 अक्टूबर 2026। जिले के आमाबेड़ा क्षेत्र में एंटी कorrupशन ब्यूरो ने दो ग्रामीण कृषि वित्तार अधिकारियों को 20 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोप है कि दोनों अधिकारियों ने फसल बीमा के तहत राशि निकलवाने के बदले किसान से कुल बीमा राशि का 75 प्रतिशत हिस्सा रिश्वत के रूप में मांगा था। शिकायत के सत्यापन के बाद एसीबी ने आज कार्रवाई की। बता दें कि गिरफ्तार अधिकारियों की पहचान सुन्दर लाल बच्छड़ और प्रवीण उर्फ रिकू चंद्रकार के रूप में हुई है। दोनों आमाबेड़ा क्षेत्र में ग्रामीण कृषि वित्तार अधिकारियों के पद पर कार्यरत हैं।

90 हजार रुपये के बीमा के बदले मांगी थी रकम : मामला आमाबेड़ा तहसील के आलनार गांव के निवासी सपाऊ राम कोमरा की शिकायत से जुड़ा है। शिकायत के मुताबिक, उनकी फसल खराब हो गई थी और इसके लिए फसल बीमा की राशि दिलाने के नाम पर दोनों अधिकारियों ने कुल बीमा राशि का 75 प्रतिशत हिस्सा मांगा था। बीमा राशि 90 हजार रुपये



बताई गई है। इस हिसाब से मांगी गई रकम 67,500 रुपये होती है। किसान रिश्वत देने के बजाय दोनों अधिकारियों को रंगे हाथों पकड़वाना चाहता था। इसी मकसद से उसने एसीबी जगदलपुर में शिकायत दर्ज कराई। एसीबी ने शिकायत का सत्यापन कराया। शिकायत सही पाए जाने के बाद टीम ने आज दोनों आरोपियों को ट्रैप की योजना बनाई। कार्रवाई के दौरान सुन्दर लाल बच्छड़ और प्रवीण उर्फ रिकू चंद्रकार को किसान से रिश्वत की पहली किश्त के रूप में 20 हजार रुपये लेते हुए पकड़ लिया गया।

छत्तीसगढ़ के आईएसएस एस. जयवर्धन की केंद्र में पोस्टिंग

गृह मंत्रालय में बने उप सचिव, केंद्र ने राज्य सरकार को कार्यमुक्त करने के लिए निर्देश

रायपुर, 14 अक्टूबर 2026। छत्तीसगढ़ केडर के 2014 बैच के आईएसएस अधिकारी एस. जयवर्धन अब केंद्र सरकार में जिम्मेदारी संभालेंगे। उन्हें नई दिल्ली स्थित केंद्रीय गृह मंत्रालय में उप सचिव नियुक्त किया गया है। केंद्रीय स्टाफिंग योजना के तहत उनकी नियुक्ति 4 साल या अगले आदेश तक के लिए की गई है। इसके लिए केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव को पत्र भेजकर जयवर्धन को उनकी मौजूदा जिम्मेदारी से कार्यमुक्त करने के निर्देश दिए हैं। नियुक्ति के बाद जयवर्धन को 3 सप्ताह के भीतर नए पद पर जॉइन करना होगा। वे अभी छत्तीसगढ़ के ट्रेजरी और आकंट्रॉस्ट डिपार्टमेंट में डायरेक्टर हैं। इससे पहले वे कलेक्टर के पद पर रह चुके हैं।

केंद्र ने राज्य सरकार को भेजे निर्देश : केंद्र सरकार ने एस. जयवर्धन की नियुक्ति के संबंध में छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव को जानकारी भेजी है। राज्य सरकार से कार्यमुक्त होने के बाद जयवर्धन नई दिल्ली पहुंचकर गृह मंत्रालय में उप सचिव का पद संभालेंगे।



आंध्र प्रदेश में जन्म, इंजीनियरिंग के बाद बने आईएसएस अधिकारी : एस. जयवर्धन का जन्म 4 दिसंबर 1978 को हुआ था। उन्होंने आंध्र यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर साइंस में बीटेक और हैदराबाद यूनिवर्सिटी से इसी विषय में एमटेक किया है। प्रशासनिक



सेवा में आने से पहले उन्होंने निजी क्षेत्र में भी काम किया। वे टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में लंबे समय तक असिस्टेंट कंसल्टेंट रहे। इसके बाद उन्होंने इरिशन ग्लोबल इंडिया लिमिटेड में सॉल्यूशन आर्किटेक्ट के रूप में भी काम किया। निजी क्षेत्र में काम करने के

दौरान उन्होंने यूपीएससी की तैयारी जारी रखी। पहले प्रयास में उनका चयन भारतीय रेलवे यातायात सेवा के लिए हुआ। प्रवेशनार के तौर पर 9 महीने तक ट्रेनिंग लेने के बाद उन्होंने फिर यूपीएससी की परीक्षा दी और आईएसएस के लिए चयनित हुए।

पैसा रहा प्रशासनिक करियर

एस. जयवर्धन ने 1 सितंबर 2014 को आईएसएस की सेवा जॉइन की। छत्तीसगढ़ में अपने प्रशासनिक करियर के दौरान उन्होंने जिला पंचायत सीईओ और नगर निगम आयुक्त जैसे पदों पर काम किया। वे बलीदाबाजार-भाटापरा जिला पंचायत के सीईओ रहे। इसके बाद कोरबा जिला पंचायत सीईओ और कोरबा नगर निगम आयुक्त की जिम्मेदारी संभाली। वे रायगढ़ नगर निगम के आयुक्त भी रहे। मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी और सूरजपुर जिले के कलेक्टर के रूप में पदस्थ रह चुके हैं।

बंद पत्थर खदान में फ्लाई ऐश डंपिंग बंद कराने की मांग, विधायक तुलेश्वर मरकाम ने पर्यावरण मंडल को लिखा पत्र



कोरबा, 14 अक्टूबर 2026। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में बंद पत्थर खदान में फ्लाई ऐश (राख) की डंपिंग को लेकर विवाद गहरा गया है। कटघोरा क्षेत्र के विधायक तुलेश्वर मरकाम ने ग्राम कोनकोना स्थित बंद साधारण पत्थर खदान में बालको ताप विद्युत संयंत्रों द्वारा की जा रही फ्लाई ऐश की डंपिंग पर आपत्ति जताई है। उन्होंने छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के क्षेत्रीय कार्यालय कोरबा के अधिकारी को पत्र लिखकर राख भराव तत्काल बंद कराने और 20 मार्च 2026 को दी गई अनुमति निरस्त करने की मांग की है। विधायक ने आशंका जताई है कि खदान में फ्लाई ऐश भरने से तान नदी और भूजल प्रदूषित हो सकता है। उन्होंने जलाशय में पहले से भरी राख को हटवाने, पानी निकालने की प्रक्रिया रोकने और पूरे मामले की जांच कराने की मांग भी की है। विधायक तुलेश्वर मरकाम ने अपने पत्र में उल्लेख किया है कि कोनकोना की बंद पत्थर खदान के गड्ढे हसदेव नदी की सहायक तान नदी से लगभग 150 मीटर की दूरी पर स्थित है। उन्होंने पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के 28 अगस्त 2019 के कार्यालय ज्ञापन का हवाला देते हुए कहा कि बंद खदानों में फ्लाई ऐश के निपटान के दौरान नदी और जल स्रोतों से कम से कम 500 मीटर की सुरक्षित दूरी रखने का प्रावधान है। उनका कहना है कि यदि खदान और नदी के बीच की दूरी लगभग 150 मीटर है, तो यहां राख भराव की अनुमति दिए जाने पर पर्यावरणीय नियमों के अनुपालन की जांच आवश्यक है। विधायक ने इस संबंध में गूगल अर्थ के मानचित्र और जीपीएस टैग तस्वीरों का भी उल्लेख किया है। पत्र के मुताबिक, वर्ष 2016-17 में राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण के लिए ग्राम कोनकोना में पत्थर खनन की अनुमति दी गई थी। निर्माण कार्य पूरा होने के बाद खदान बंद हो गई और वहां दो गड्ढे रह गए। विधायक का दावा है कि खनन एवं पर्यावरणीय योजनाओं में इन गड्ढों को जलाशय के रूप में विकसित करने का प्रावधान था। उन्होंने बताया कि मई-जून 2025 में बालको ताप विद्युत संयंत्रों को इन गड्ढों में फ्लाई ऐश डालने की अनुमति दी गई थी। बाद में शिकायतों के बाद अनुमति निरस्त कर दी गई।

युवा कार्टूनिस्ट अपनी रचनात्मकता को दें नई उड़ान, राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रोशन करें छत्तीसगढ़ का नाम : मुख्यमंत्री साय

रायपुर, 14 अक्टूबर 2026। कार्टून केवल हास्य और मनोरंजन का माध्यम नहीं, बल्कि लोकतंत्र और समाज का सशक्त दर्पण है। यह गंभीर विषयों, सामाजिक परिस्थितियों और विमर्शितियों को हास्य एवं व्यंग्य के माध्यम से सहजता से जनमानस तक पहुंचाने वाली प्रभावशाली रचनात्मक विधा है। कई बार जो बात हजारों शब्दों में कहना कठिन होता है, उसे एक प्रभावशाली कार्टून बड़ी सरलता और गहराई के साथ अभिव्यक्त कर देता है। कार्टून समाज को हंसाने के साथ सोचने, समझने और आत्ममंथन के लिए भी प्रेरित करता है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राजधानी रायपुर में कार्टून वॉच पत्रिका द्वारा आयोजित कार्टून फेस्टिवल-2026 को संबोधित करते हुए यह बात कही। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि कला और साहित्य किसी भी समाज की चेतना



के वाहक होते हैं। कार्टून इस दृष्टि से विशिष्ट कला है, जिसमें चित्र, विचार, हास्य और व्यंग्य का अद्भुत समन्वय दिखाई देता है। एक कार्टूनिस्ट अपने सूक्ष्म अवलोकन और रचनात्मक दृष्टि से सामाजिक घटनाओं को ऐसा स्वरूप देता है, जो लंबे

समय तक लोगों की स्मृति में बना रहता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में कार्टून जनभावनाओं, जनअपेक्षाओं और सामाजिक सरोकारों को अभिव्यक्ति देने का भी शक्तिशाली माध्यम है। मुख्यमंत्री ने भारतीय कार्टून कला की समृद्ध परंपरा का

उल्लेख करते हुए महान कार्टूनिस्ट आर.के. लक्ष्मण के योगदान को स्मरण किया। उन्होंने कहा कि आर.के. लक्ष्मण का प्रसिद्ध 'कॉमन मैन' केवल एक कार्टून चरित्र नहीं, बल्कि देश के सामान्य नागरिक की आशाओं, अपेक्षाओं, जिज्ञासाओं और चिंताओं की पहचान बन गया। स्वतंत्रता के बाद बदलते भारत और उसकी सामाजिक परिस्थितियों को उन्होंने जिस प्रभावशाली ढंग से अभिव्यक्त किया, वह भारतीय पत्रकारिता और कार्टून कला की अमूल्य विरासत है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बस्तर सहित प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में कार्टून कला को प्रोत्साहित करने के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि इससे दूरस्थ अंचलों की प्रतिभाओं को भी अपनी रचनात्मकता प्रदर्शित करने और इस विधा से जुड़ने का अवसर मिल रहा है। उन्होंने कार्टून फेस्टिवल-2026 में जयपुर के

प्रख्यात कार्टूनिस्ट अभिषेक तिवारी को लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड से सम्मानित किए जाने पर बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी कलाकार की दीर्घकालीन साधना और रचनात्मक योगदान का सम्मान पूरी कला विधा का सम्मान है और इससे नई पीढ़ी को उत्कृष्टता की ओर बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। मुख्यमंत्रीसाय ने युवा कार्टूनिस्टों का आह्वान करते हुए कहा कि नई पीढ़ी में प्रतिभा, कल्पनाशीलता और तकनीक की अपार संभावनाएं हैं।

डिजिटल माध्यमों के विस्तार ने रचनात्मक अभिव्यक्ति के नए मंच उपलब्ध कराए हैं। युवा कलाकार अपनी मौलिकता और रचनात्मक दृष्टि को बनाए रखते हुए इन अवसरों का उपयोग करें और राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय स्तर पर छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करें।

रवि किशन बोले- यूपी में 2027 में हार रही सपा, अखिलेश यादव अयोध्या से लड़े चुनाव छत्तीसगढ़ी फिल्मों में काम करने की जताई इच्छा

बिलासपुर, 14 अक्टूबर 2026। बिलासपुर में मशहूर अभिनेता और भाजपा सांसद रवि किशन ने छत्तीसगढ़ से जुड़ाव, छत्तीसगढ़ी फिल्मों की संभावनाओं और उत्तर प्रदेश की राजनीति पर बात करते हुए रवि किशन ने समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव को उनकी चुनौती याद दिलाई। उन्होंने कहा, 'अखिलेश बाबू ने योगी जी के अयोध्या से चुनाव लड़ने की चुनौती दी थी। हमारे महाराज जी (योगी आदित्यनाथ) ने उस चुनौती को सफल स्वीकार कर लिया। अब अखिलेश जी को खुद मैदान में उतरना चाहिए।

बता दें कि रवि किशन गरबा कार्यक्रम में शामिल होने बिलासपुर पहुंचे थे। यहां उन्होंने अलग-अलग मुद्दों पर बयान दिए। उत्तर प्रदेश की राजनीति पर बात करते हुए रवि किशन ने समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव को उनकी चुनौती याद दिलाई। उन्होंने कहा, 'अखिलेश बाबू ने योगी जी के अयोध्या से चुनाव लड़ने की चुनौती दी थी। हमारे महाराज जी (योगी आदित्यनाथ) ने उस चुनौती को सफल स्वीकार कर लिया। अब अखिलेश जी को खुद मैदान में उतरना चाहिए।